

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

**वार्षिक
प्रतिवेदन
2022-23**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



वार्षिक प्रतिवेदन 2022 -2023



वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

प्रौद्योगिकी



शोध एवं विकास

नवाचार (परिवर्तन)



विषय सूची

	पृष्ठ सं.
राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) के बारे में	4 -24
केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार प्रमाणित वित्तीय विवरण	
1. तुलन पत्र - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	26&28
2. आय और व्यय लेखा - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	27&29
3. तुलन पत्र की अनुसूची - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	30-47
4. प्राप्ति और भुगतान लेखा - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	48-49
5. खातों पर नोट्स - एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित	50-61
एनएबी स्पष्टीकरण के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	62-72



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड के बारे में

1. राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक स्वायत्त सोसायटी है, जिसकी स्थापना 2013 में (पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों एवं विनियमों के साथ की गई थी।
2. सोसाइटी का उद्देश्य ऑटोमोटिव क्षेत्र से तकनीकी और डोमेन विशेषज्ञता को एक मंच पर लाना है। इससे मोटर वाहन उद्योग को प्रभावित करने वाली नीतियों, विनियमों और हस्तक्षेपों को आकार देने में शामिल विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के बीच सहयोग में सुविधा होगी। ऐसा करने से, इस क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा।
3. सोसाइटी के एमओए में सोसायटी के विस्तृत लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - i. मोटर वाहन क्षेत्र से संबंधित डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना। सरकारी नीति और विनियमन तैयार करने के लिए इनपुट प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसे डेटा का विश्लेषण करना।
 - ii. एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों में पालन की जाने वाली परीक्षण प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मानकीकरण सुनिश्चित करना और परीक्षण केंद्र सह-संबद्ध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग करना।
 - iii. किसी भी ऑटोमोटिव परीक्षण और परीक्षण केंद्र विवादों के लिए अपीलीय निकाय होना और एनएबी के अधीनस्थ केंद्रों द्वारा किए गए प्रमाणन, प्रत्यायन और परीक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करना।
 - iv. परीक्षण केंद्रों की ओर से व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों (डीपीआर) को विकसित करना, इन्हें वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करना और अनुमोदन प्राप्त करना। अनुसंधान एवं विकास परियोजना कार्यान्वयन पर्यवेक्षण, परियोजना निगरानी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों की रिपोर्टिंग का पर्यवेक्षण भी एनएबी द्वारा किया जाएगा।
 - v. भारी उद्योग संस्थान के अंतर्गत परीक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का प्रशासन, निगरानी, समन्वय, विनियमन और सहक्रियाशीलता करना ताकि केन्द्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदान की जा रही अपेक्षित सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने, सुविधाओं की बेंचमार्किंग सुनिश्चित की जा सके।
 - vi. यह सुनिश्चित करना कि परीक्षा केंद्रों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर इष्टतम रिटर्न प्राप्त हो।
 - vii. नई ऑटोमोटिव पहलों, ऑटोमोटिव नीति, सांविधिक अनुपालन, शिकायत निवारण और सीवीसी, लेखापरीक्षा आदि जैसी सरकार की संवैधानिक एजेंसियों से संबंधित मामलों सहित सरकार से प्राप्त संदर्भों के संबंध में एवं उपरोक्त सभी मामलों में परीक्षण-केंद्रों के साथ पर्यवेक्षण, प्रशासन और समन्वय रखना।
 - viii. क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, लेखा परीक्षा/प्रत्यायन और परीक्षण केंद्रों की आवश्यकताओं का उन्नयन/विस्तार करना।
 - ix. नैटिस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखना।
 - x. सरकार अथवा शासी परिषद्, एनएबी द्वारा दी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारियों और कार्यों का अनुपालन करना।

- xi. शासी परिषद्, एनएबी द्वारा यथाअनुमोदित शुल्क के साथ बाहरी एजेंसियों को परामर्श और विशेषज्ञता प्रदान करना।
 - xii. राष्ट्रीय / वैश्विक परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों, उद्योग संघों, मोटर वाहन नीति निर्माण, परीक्षण, होमोलोगेशन, विनियम, प्रमाणन, मान्यता, अनुसंधान एवं विकास और नई पहल से जुड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करना।
4. सोसायटी के नियमों और विनियमों के संदर्भ में, शासी परिषद् एक शासी निकाय है, जिसे सोसायटी का प्रबंधन सौंपा गया है। पंजीकरण के उद्देश्य से शासी परिषद् का गठन आठ सदस्यों के साथ किया गया था जिसका प्रतिनिधित्व अब सोसाइटी के निम्नलिखित 'सदस्य वर्गों' के 24 सदस्यों द्वारा किया जाता है:
- साधारण सदस्य;
 - कार्यात्मक सदस्य;
 - सदस्य केंद्र;
 - संबद्ध सदस्य;
 - मनोनीत सदस्य;
 - मानद सदस्य;

शासी परिषद् की वर्तमान संरचना (नवंबर, 2022 के उपरांत)

1.	सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय- अध्यक्ष, एनएबी
2.	अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
3.	अपर सचिव (ऑटो), भारी उद्योग मंत्रालय
4.	कार्यात्मक सदस्य, एनएबी
5.	अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)
6.	अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
7.	निदेशक (एमकेटी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी)
8.	अध्यक्ष, स्केल समिति
9.	प्रबंध निदेशक और सीईओ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल)
10.	निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (एफपीसीएल), एनएबी, (सदस्य सचिव, एनएबी)
11.	प्रबन्धक निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय और निदेशक (ओएएडीएम), एनएबी
12.	अध्यक्ष, सियाम
13.	अध्यक्ष, एसीएमए
14.	अध्यक्ष टीएमए
15.	अध्यक्ष, एआरएआई
16.	डॉ. अनीश शाह, सीईओ और प्रबंध निदेशक, महिंद्रा समूह
17.	श्री शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा मोटर्स
18.	श्री सौमित्र भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक, बॉश लिमिटेड
19.	श्री दीपक जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ल्यूमैक्स



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

20.	श्री गोपाल महादेवन, निदेशक, स्ट्रैटेजिक वित्त, अशोक लीलैंड
21.	श्री कवन मुख्तयार, पार्टनर एवं लीडर-ऑटोमोटिव, पीडब्लूसी इण्डिया
22.	निदेशक – आईकैट
23.	निदेशक – नैट्रैक्स
24.	निदेशक – जीएआरसी

5. सोसायटी के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअनुमोदित कर्मी संख्या पच्चीस है, जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर तीन सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
6. सोसायटी की भूमिका और प्रमुख कार्यों को इसके नियमों और विनियमों में निम्नानुसार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है:
 - i. **प्रमुख कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं, भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ परीक्षण केंद्रों के कामकाज का प्रशासन, अनुवीक्षण, समन्वय, विनियमन और तारतम्य स्थापित करना, क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रक्रियाओं का मानकीकरण, परीक्षण केंद्रों द्वारा एनएबी को प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर परीक्षण और होमोलोगेशन प्रमाण-पत्र जारी करना। ऑटो नीति से संबंधित मुद्दों के लिए सलाह, तकनीकी इनपुट और सचिवालय सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी डेटा, डोमेन ज्ञान और विशेषज्ञता का भंडार बनाना, ऑटोमोटिव अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण आदि के क्षेत्र में कौशल सेट और दक्षताओं का विकास करना।
 - ii. **मुख्य कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीतियां तैयार करना और परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करना, ऑटोमोबिल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से संबंधित पहलों और समग्र मुद्दों की देखभाल करना, नए वाहन मूल्यांकन कार्यक्रम (एनवीएपी) की डिजाइन और प्रशासन, ऑटोमोटिव क्षेत्र से संबंधित डेटा के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना और विश्लेषण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीनस्थ सड़क सुरक्षा बोर्ड के साथ सहयोग करना, उपकर निधि परियोजनाओं, परीक्षण सुविधा आयोजना, परीक्षण केंद्र की तैयारी के लिए उन्नयन और विस्तार, परीक्षण केंद्र सह-संबंध लेखापरीक्षा और बेंचमार्किंग जैसे विभिन्न संगठनों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समन्वय करना शामिल हैं। परीक्षण संबंधी किसी भी विवाद के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करना, उभरती मोटर वाहन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में जनशक्ति क्षमता का विकास करना, उद्योग और शिक्षा (एमओयू और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम) के साथ विनियम का सशक्तिकरण और संवर्धन करना।
 - iii. **सुविधा प्रदानकारी कार्य:** इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संघटकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड के रूप में कार्य करना और प्रत्यायित परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर वाहनों और संघटकों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना, विनियमों के अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य को अपनाने के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन, मानकों, जनहितकारी सूचना का विनियमन और प्रकाशन, ऑटोमोटिव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विनियामक प्रणाली का संवर्धन शामिल हैं।
 - iv. इसके अलावा, एनएबी, एनएटीआईएस के समापन और अवशिष्ट मुद्दों का ध्यान रखेगा।
7. एनएबी 2021 में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के पूरा होने के बाद, नैट्रिप के तहत विकसित निम्नलिखित परीक्षण केंद्रों की निगरानी और प्रशासन कर रहा है। ये केंद्र अब पूरी तरह कार्यात्मक हैं। एनएबी के तहत परीक्षण केंद्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- I. **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट), मानेसर, हरियाणा:** इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईकैट) राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी), भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक अग्रणी विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, प्रमाणन, होमोलोगेशन और अनुसंधान व विकास सेवा प्रदाता केंद्र है। आईकैट को मोटर वाहन और उसके घटकों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सीएमवी नियम 126 के तहत एक अधिकृत परीक्षण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने आईकैट को उत्सर्जन और ध्वनि प्रकार अनुमोदन और जनरेटर सेटों के सीओपी के लिए एक अधिकृत परीक्षण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। नियामक परीक्षणों के अलावा, आईकैट ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे- पावरट्रेन, शोर कंपन और कठोरता, संघटक, फटींग, फोटोमिट्री, टायर और पहिया, निष्क्रिय सुरक्षा, ईएमसी, सीएडी और सीएई।



आईकैट परिसर-2, मानेसर

- i) यह केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
 - शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)
 - संघटक विकास



शोर कंपन और कठोरता (एनवीएच)



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

ii) आईकैट नियमित रूप से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के लिए आवश्यक ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव घटकों का परीक्षण भी करता है। आईकैट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की हैं।

(क) **नई सुविधाओं का उद्घाटन:** 4 फरवरी 2023 को भव्य कार्यक्रम 'पंचामृत की ओर' के दौरान, आईकैट इनक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर का उद्घाटन डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, माननीय मंत्री (भारी उद्योग) और श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री भारी उद्योग द्वारा किया गया। इस केंद्र का उद्देश्य



इन्क्यूबेशन एवं एक्सेलरेशन सेंटर का उद्घाटन

ऑटोमोटिव क्षेत्र में स्टार्ट-अप का समर्थन करना है।

(ख) उन्नत सुरक्षा ग्लेजिंग सामग्री के परीक्षण के लिए उदा. 3.2 मिमी तक गहरा हरा यूवी कट ग्लास (डीजीजी) और आईआर कट विंडशील्ड (पीवीबी + ग्लास) जो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की पीएलआई-ऑटो योजना के तहत उन्नत ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (एएटी) घटक हैं के परीक्षण के लिए आईकैट-सेंटर में एक सीटीएल टीम द्वारा एक समर्पित यूवी कट और आईआर कट परीक्षण सुविधा स्थापित की गई। यह परीक्षण सुविधा पीएलआई-ऑटो आवेदकों के साथ-साथ ऑटोमोटिव उद्योग को उनकी परीक्षण और सत्यापन आवश्यकताओं के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। साथ ही यह अनूठी



यूवी कट और आईआर कट परीक्षण सुविधा

परीक्षण सुविधा सुरक्षा ग्लास निर्माताओं को विकासात्मक परीक्षण/परीक्षण करने में मदद करेगी जो उत्पाद विकास प्रक्रिया में अपरिहार्य हैं।

- (ग) ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव उद्योग (भारतीय और विदेशी) के साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के परीक्षण और सत्यापन आवश्यकताएँ की पूर्ण करने के उद्देश्य से सामान्य प्रयोजन के टफएंड ग्लास (जैसे आर्किटेक्चरल ग्लास, घरेलू उपकरणों आदि में उपयोग किए जाने वाले ग्लास) को आईएस: 2553 - 2018 (भाग 1) मानकों के अनुसार परीक्षण के लिए भूतल संपीड़न परीक्षण सुविधा आईसीएटी - केंद्र 1 के घटक परीक्षण प्रयोगशाला (सीटीएल) द्वारा स्थापित की गई।
- (घ) भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए, ऑटोमोटिव और गैर-ऑटोमोटिव उद्योग (भारतीय और विदेशी) के साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को उनकी परीक्षण और सत्यापन आवश्यकताओं के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से फ्लोट ग्लास के परीक्षण के लिए, फ्लोट ग्लास टेस्ट सुविधा को आईसीएटी - सेंटर 1 के कंपोनेंट्स टेस्ट लैब (सीटीएल) के इंजीनियरों द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया था।
- (ङ) ऑटोमोटिव उद्योग को समर्थन देने के लिए I AIS:135.2016 के नए संशोधन नंबर 1 के लिए आईकैट की तैयारी सुनिश्चित करने में, पाइप नेटवर्क के हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण के लिए I AIS:135.2016 के अनुसार



हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट रिग

संशोधन संख्या 1, जनवरी-2022 के साथ आईकैट - सेंटर 2 में कंपोनेंट्स टेस्ट लैब (सीटीएल) द्वारा हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट रिग और फंक्शनल टेस्ट रिग स्थापित किया गया था।

(iii) वेबिनार और कॉन्क्लेव

- (क) एआईएस-135/2016 में संशोधन की अधिसूचना के मद्देनजर 12 अक्टूबर, 2022 को फायर अलार्म सिस्टम (एफएस) और फायर प्रोटेक्शन सिस्टम (एफपीएस) वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसके अनुसार यात्री डिब्बे में एफएस और एफपीएस का परीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। इस वेबिनार का उद्देश्य अग्नि दुर्घटनाओं और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान/अनुभव को साझा करने के लिए ओईएम, एफडीएसएस/एफएस/एफपीएस निर्माताओं, बस निर्माताओं, बस बॉडी बिल्डर्स, नीति निर्माताओं, प्रवर्तन

एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों और शिक्षाविदों आदि जैसे सभी क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाना है।

- (ख) हमारी जागरूकता निर्माण और कौशल विकास पहल के अनुरूप, भारी उद्योग मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के रूप में 22 अगस्त 2022 को "2W/3W BEV के विकास पर सेमिनार" नामक एक दिवसीय भौतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (ग) आईकैट ने 'एचबीके सॉल्यूशन डेज' नामक एक सेमिनार की मेजबानी की, जिसमें अपनी नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया जो ऑटोमोटिव घटकों और परीक्षण प्रणालियों को अपग्रेड करने में मदद करेंगे।
- (घ) 4 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) और ईवीएक्सपीओ द्वारा संयुक्त रूप से 'भारत का ईवी सेक्टर - वैश्विक नेतृत्व के लिए रोडमैप' पर एक सम्मेलन आयोजित तथा एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शनी आयोजित की गई। आईकैट भी उस आयोजन के सहयोगी भागीदारों में से एक था, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में योगदान देना और उच्च गति के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।

(iv) मील के पथर

- (क) आईकैट ने रक्षा क्षेत्र के लिए एआईएस-135: 2016 के अनुसार इंजन कम्पार्टमेंट के लिए फायर डिटेक्शन एंड सप्रेसन सिस्टम (एफडीएसएस) की पहली विकासात्मक परीक्षण परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया।
- (ख) कौशल विकास और अधिक उद्योग-अकादमिक सहयोग के उद्देश्य से: एनसीयू, गुडगांव और आईआइ टी-हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए बॉश और गणित कार्यों के साथ इंजीनियरिंग छात्रों के लिए ईवी कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- (v) **APSIRE-ICAT:** ने उद्योग साझेदार, शैक्षणिक संस्थान और एमएचआई को शामिल करते हुए संयुक्त नवाचार परियोजनाओं पर काम किया। समीक्षा और व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर एमएचआई की पूंजीगत सामान योजना-II के तहत ऑटो सीआई / आईकैट में 4 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिन्हें संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2 परियोजनाओं (मार्च 2023 में आईकैट और एमएचआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वे अब निष्पादन के अधीन हैं।) में से 4 को शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें शामिल हैं: एल्यूमीनियम हनीकॉम्ब ऑफसेट डिफॉर्मिंग बैरियर (ओडीबी) का डिजाइन और विकास और व्हील फोर्स ट्रांसड्यूसर (डब्ल्यूएफटी) का डिजाइन एवं विकास और
- (vi) **आईकैट, भारत और कोरिया ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (KATECH) के बीच समझौता ज्ञापन:** यह समझौता ज्ञापन, आईकैट की विदेशी ऑटोमोटिव घटक निर्माताओं का समर्थन करके वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। भारतीय प्रमाणन के अलावा, विभिन्न ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस) के अनुसार, आईकैट भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में केएटेक, कोरिया के साथ सहयोग करेगा जैसे की टिकाऊ और कनेक्टेड परिवहन, ADAS आदि।
- (vii) **उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए आईकैट, भारत और द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन:** उद्योगिक और अकेडमिया की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए तथा उद्योग की



अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

आवश्यकताओं के अनुसार ईवी और संबंधित उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संयुक्त अल्पकालिक और मध्यावधि पाठ्यक्रम और अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) ने द नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी (एनसीयू), गुरुग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(viii) अन्य कार्यक्रम

(क) 'सभी महिलाएं अविश्वसनीय हैं और आईकैट को उनमें से कुछ पर गर्व है'। आईकैट, मानेसर ने मानेसर



आईकैट वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के छात्रों का दौरा

में अपने केंद्र सुविधा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। व्यावसायिक यात्रा में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और कार्य-जीवन संतुलन पर मार्गदर्शन विषय पर दो सत्र आयोजित किए गए। एक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की अध्यक्षता जिसमें सुबह का सत्र शामिल था, की अध्यक्षता श्रीमती आरती भटनागर-एएस और एफए-एमएचआई ने की और दोपहर के सत्र की अध्यक्षता डॉ. रेणुका मिश्रा-आर्थिक सलाहकार, एमएचआई ने की।

- (ख) एमआईटी-वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे के छात्रों ने अपनी औद्योगिक यात्रा के हिस्से के रूप में आईकैट परीक्षण प्रयोगशालाओं का दौरा किया।
- (ग) हुंडई/टक्सन ने आईकैट कन्वेंशन सेंटर में मीडिया ड्राइव का आयोजन किया, जहां उन्होंने जूजैच्छ के एडीएस फीचर का प्रदर्शन किया।
- (घ) यह “राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास” पर केंद्रित एक जानकारीपूर्ण सत्र था। सत्र को प्रो. कपिल कुमार, सीनियर फेलो, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय द्वारा दिया गया। यह सत्र राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास पर जानकारी प्रदान करता है।



आजादी का जश्न (हर घर तिरंगा)

- (ङ) टीम अआईकैट ने “आजादी का अमृत महोत्सव” के तत्वावधान में “हर घर तिरंगा” अभियान मनाया। यह अभियान लोगों को तिरंगे को घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर को चिह्नित करने के लिए, आईकैट ने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ खुशी और गर्व के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
- (च) आईकैट के प्रतिनिधियों ने ‘एयर डिफेंस इंडिया’ पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया। संगोष्ठी का उद्देश्य देश की वायु रक्षा के आधुनिकीकरण की यात्रा में इनपुट प्राप्त करना है और उद्योग को जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना था।

- (छ) आईकैट ने सियाम के 62वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जहां वरिष्ठ सरकारी अग्रणी लोग, नीति निर्माताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने गतिशीलता के भविष्य के लिए विचार-विमर्श और रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। यह 15 सितंबर 2022 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- (ज) आईकैट ने ईटी ऑटो फार्म इक्विपमेंट समिट के तीसरे संस्करण के वक्ता के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में मौजूदा मुद्दों, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और बाजार के अवसरों पर चर्चा की गई। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के उद्योग जगत के अग्रणीयों ने नवीनतम विकास और टीआरईएम-प्ट, फंडिंग, विद्युतीकरण आदि जैसे ट्रेंडिंग मुद्दों पर भी चर्चा और बहस की।
- (झ) आईकैट ने एसीएमए के 62वें वार्षिक सत्र में भविष्य की गतिशीलता - अवसर से आगे रहने के लिए परिवर्तन विषय पर भाग लिया। यह 14 सितंबर, 2022 को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- (ञ) ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिया एक्जीबिशन सर्विसेज और एसएमईवी (सोसाइटी ऑफ मैनुफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) ने संयुक्त रूप से ईवी इंडिया 2022 एक्सपो (यह इलेक्ट्रिक वाहन मोटर शो में से एक था) और 'ई-चार्ज फोरम' पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। आईकैट भी उस आयोजन के सहयोगी भागीदारों में से एक था। यह 7 से 9 सितंबर 2022 तक एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था।
- (ट) 2 डब्ल्यू, 3 डब्ल्यू और ईवी फोरम (टीडब्ल्यूएफ) थ्रीफोल्ड (एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। 2022 संस्करण में 2 व्हीलर ईवी और सहायक उद्योग के प्रतिष्ठित वक्ताओं के साथ 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। होटल इरोज, नेहरू प्लेस में 2 हॉलों में समानांतर सत्र आयोजित किए गए। वक्ताओं द्वारा और पैनल चर्चाओं में विषय भारत में ईवी बाजार के दृष्टिकोण, स्वेपिंग सहित बैटरी तकनीक, चार्जिंग इन्फ्रा और नवीनतम नियमों, ईवी के वित्तपोषण और रखरखाव और स्थानीयकरण के साथ इलेक्ट्रिक गतिशीलता के भविष्य जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी चर्चा हुई। टायर, टायर दबाव मापने की प्रणाली, मोटर आदि के क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों द्वारा 15-20 बूथ भी स्थापित किए गए थे। भारत को अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाने में योगदान देने वाले स्टार्टअप्स के दिग्गजों को सुनना आंखें खोलने वाला था।
- (ठ) आईकैट ने बुधवार, 28 सितंबर 2022 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। आईकैट के कर्मचारियों ने 'एक व्यक्ति एक पौधा' अभियान के तहत केंद्र-2 में 530 से अधिक पौधे लगाए।



आईकैट स्थापना दिवस 'एक व्यक्ति एक पौधा'

- II. वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) चेन्नई, तमिलनाडु: वैश्विक मोटरवाहन अनुसंधान केंद्र (जीआरसी) भारी उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ एक प्रमुख परीक्षण एजेंसी है जो व्यापक परीक्षण, सत्यापन और प्रमाणन के माध्यम से मोटरवाहन उद्योग को आगे बढ़ाने को समर्पित है। जीएआरसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, सीएमवी नियम 126 के तहत अधिकृत परीक्षण केंद्रों में से एक है। जीएआरसी ने सीएमवीआर के अनुसार उद्योगों को संघटकों के लिए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी किए हैं। ऑटोमोटिव अनुसंधान और विकास पारितंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीएआरसी वाहनों और उनके घटकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से कई प्रकार की सेवा सुविधाएं प्रदान करता है। इन सेवाओं में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- दोनों विनियमों के साथ ऑटोमोबिल की समग्र विश्वसनीयता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मूल्यांकन, उत्सर्जन परीक्षण और निष्पादन आकलन शामिल हैं।



जीएआरसी, चेन्नई

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीआई) के रूप में विकसित हुआ है:
- विद्युत-चुम्बकीय अंतःक्षेप और विद्युत-चुम्बकीय संगतता (ईएमसी/ईएमआई)
 - उन्नत निष्क्रिय सुरक्षा (एपीएसएल)
 - इन्फोर्ट्रॉनिक्स



ईएमसी परीक्षण प्रयोगशाला

- ii) ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ऑटोमोबाइल निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को परीक्षण और मूल्यांकन सेवाओं कि एक श्रृंखला प्रदान कर रहा है। जीएआरसी तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास ओरगदम में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी केन्द्र के भीतर विभिन्न ऑटोमोबाइल घटकों और सुविधाओं कि सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों और विधियों का उपयोग करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीएआरसी ने कई गतिविधियाँ पूरी की हैं।
- (क) **इन्फोर्ट्रानिक्स/ईवी:** वित्तीय वर्ष के दौरान जीएआरसी ने ईवी में आईआर और उच्च वोल्टेज माप के परीक्षण के लिए एवीएल एचवी डि-टेस्ट उपकरण सफलतापूर्वक स्थापित और चालू किया गया। बैटरी सेल प्रदर्शन परीक्षण करने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता की खोज की गई और उसे शामिल किया गया, जो जीएआरसी पर उपलब्ध नहीं है, ग्रिनटेक मोटर्स के साथ पांच आउटसोर्स परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित और पूरा किया गया है। कुल 3 ईवी कम गति वाले वाहन प्रमाणन परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई और परीक्षण के ईवीएल दायरे के लिए 5 निर्यात होमोलोगेशन टीएसी परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई।
- (ख) **जीएआरसी होमोलोगेशन टेक्नीकल सेल (जीएचटीएस):** अतिरिक्त कार्यक्षेत्रों के साथ एनएबीएल के लिए बाहरी ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, अब कुल मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र 400 हैं।
- (ग) **उत्सर्जन प्रकार अनुमोदन:** जीएआरसी ने मार्च 2022 में मेसर्स सेम ड्यूटज-फार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसडीएफ) को उसके इंजन के लिए भारत (टर्म) III-1 उत्सर्जन प्रकार की स्वीकृति जारी किया। मेसर्स (एसडीएफ) को उनके इंजन परिवार F6-MC3037TA के लिए भारत (टर्म) III-A, उत्सर्जन-प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।



उत्सर्जन प्रकार अनुमोदन

- (घ) **एफएटी लैब:** निर्माण उपकरण वाहन प्रदर्शन परीक्षण जैसे एचवीएसी, कोल्ड स्टार्ट, हैंड आर्म वाइब्रेशन आदि आयोजित किए गए। डेटा लॉगर और सेंसर के साथ इंस्ट्रुमेंटेशन सेटअप ने मापन कार्य प्रतिपादित किया।
- (ङ) **टेस्ट ट्रैक:** वाटर वेडिंग क्षमता को 500 मिमी से 800 मिमी तक बढ़ाकर वॉटर वेडिंग ट्रैक का नवीनीकरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बाहरी शोर परीक्षण ट्रैक का मैसर्स टीयूवी रीनलैंड। द्वारा सफलतापूर्वक

पुनर्मूल्यांकन और प्रमाणन भारी वाहनों के लिए आईएसओ 10844:2021 के अनुपालन के लिए किया गया है। ब्रेकिंग सरफेस टेस्ट ट्रैक पर बेसाल्ट टाइल और सिरेमिक टाइल रफिंग और पॉलिशिंग का काम पूरा हो गया है।

- (च) **परोक्ष सुरक्षा लैब:** क्रैश कोर उपकरण की कमीशनिंग और स्वीकृति का काम पूरा हो गया। इसके भाग के रूप में, ODB64, कार से कार दुर्घटना और ट्रक दुर्घटना परीक्षण किए गए।
- (छ) **आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) का उत्सव :** आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में सभी प्रगतिशील बातों का प्रतीक है। पिछले वर्ष के दौरान जीएआरसी ने विभिन्न वेबिनार, सेमिनार आयोजित किए और स्थानीय स्कूल का दौरा किया और जीएआरसी में छात्रों के दौरे की व्यवस्था की।



जीएआरसी में बूस्टर टीकाकरण शिविर



कॉलेज के छात्र जीएआरसी का दौरा करते हुए

- III. **राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक (नैट्रेक्स) इंदौर-मध्यप्रदेश :** नैट्रेक्स केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम संख्या 126 के तहत एक अधिसूचित परीक्षण एजेंसी है। नैट्रेक्स नैट्रिप के तहत अत्याधुनिक ऑटोमोटिव परीक्षण, अनुसंधान और विकास तथा प्रमाणन केंद्रों में से एक है। नैट्रेक्स के पास व्यापक परीक्षण सुविधा है और यह ऑटोमोटिव उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर वाहन गतिशीलता, प्रमाणन और अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के विकास के लिए परीक्षण ट्रैक और वाहन गतिकी प्रयोगशाला (वीडीवाई), जो उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के साथ में विकसित हुई है, इन जैसी अपनी जमीनी सुविधाओं के माध्यम से एकल केंद्र समाधान प्रदान करता है। नैट्रेक्स प्रूविंग ग्राउंड्स भारतीय और वैश्विक मानकों के अनुसार 2/3 पहिया वाहनों से लेकर भारी वाणिज्यिक वाहनों तक सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए विश्वस्तरीय व्यापक वाहन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करता है। नैट्रेक्स भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के परीक्षण, प्रमाणन और विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं भी स्थापित कर रहा है। नैट्रेक्स देश में सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए क्रैश बैरियर परीक्षण सुविधा स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र बन गया है। इसी तरह, सड़क सुरक्षा के लिए एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएस) सुविधाओं का परीक्षण भी शुरू हो गया है।



नैट्रेक्स, इंदौर

- i) केंद्र निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में विकसित हुआ है:
- वाहन गतिकी (वीडीवाई)



वाहन गतिकी (वीडीवाई)

- ii) नैट्रेक्स-वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की है।
- (क) नैट्रेक्स को 14 मई 2022 को NABL द्वारा मान्यता दी गई है।
- (ख) नैट्रेक्स ने जनवरी 2022 में 2/3 व्हीलर (कम पावर) इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए CMVR प्रमाणीकरण शुरू किया है और फरवरी 2023 में 100 परीक्षण पूरे किए हैं। नैट्रेक्स में बैटरी परीक्षण और ई-रिक्शा प्रमाणन भी शुरू कर दिया गया है।
- (ग) डॉ. हनीफ कुरैशी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय और कार्यात्मक सदस्य, एनएबी ने फरवरी 2023 के महीने में नैट्रेक्स का दौरा किया। यात्रा के दौरान नैट्रेक्स में 18 फरवरी 2023 को BAJA SAEINDIA 2023 कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता की और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। नैट्रेक्स अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है, जो नैट्रेक्स में उपलब्ध सभी सुविधाओं को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करता है। वृक्षारोपण किया गया और नैट्रेक्स ग्राहक को पहला ई-रिक्शा प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।



नैट्रेक्स अनुभव केंद्र का उद्घाटन



संयुक्त सचिव द्वारा वृक्षारोपण

- घ) पहले बांस निर्मित क्रैश बैरियर 'कूच कवच' का मई 2022 में नैट्रेक्स में परीक्षण और प्रमाणित किया गया था। यह पूरी तरह से 'भारत में निर्मित, भारत में परीक्षण किया गया और भारत में स्थापित', एक पूर्ण आत्मनिर्भर भारत मॉडल है। क्रैश बैरियर टेस्ट सुविधा नैट्रेक्स में वर्ष 2020 में स्थापित की गई थी और अब तक, नैट्रेक्स द्वारा इस सुविधा में 75+ परीक्षण किए जा चुके हैं।



क्रैश बैरियर 'कूच कवच' द्वारा



टेस्ट ट्रैक नैट्रेक्स

- ड.) मध्य प्रदेश सरकार का पहला एमपी ऑटो शो 28-30 अप्रैल 2022 के बीच नैट्रेक्स में आयोजित किया गया था।
- च) नैट्रेक्स ने 15 फरवरी 2023 को श्री प्रियांक मिश्रा, कलेक्टर, धार की उपस्थिति में आईटीआई, धार और आईटीआई, पीथमपुर के लिए कौशल विकास निदेशालय, एमपी सरकार के साथ फ्लेक्सी एमओयू निष्पादित किया। यह सहयोग नैट्रेक्स के पास उपलब्ध स्थानीय प्रतिभा पूल की मदद और कौशल बढ़ाने की दिशा में एक कदम है।
- छ) SAEINDIA के सहयोग से मोशन इन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस 23-24 फरवरी 2023 के बीच ATS के तत्वाधान में नैट्रेक्स में आयोजित की गई थी। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन था, जो दो स्थानों पर आयोजित किया गया था; पहला चरण आईसीएटी में और दूसरा चरण नैट्रेक्स में।
- ज) 'पर्यावरण वानिकी योजना' के तहत, 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस पर नैट्रेक्स के अंदर जिला वन कार्यालय, धार के सहयोग से 1000 पौधे निःशुल्क लगाए गए।
- झ) 14-29 सितंबर 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें नैट्रेक्स में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निबंध लेखन, एक्सटेम्पोर आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

- IV. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव निरीक्षण, अनुरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआईएमटी)**
सिलचर-असम : एनआईआईएमटी-सिलचर असम राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित है। एनआईआईएमटी पूर्वोत्तर और देश के पूर्वी भाग का एकमात्र केंद्र है। एनआईआईएमटी-सिलचर के क्रमशः जाफिरबॉन्ड और ढोलचेरा में 20 एकड़ और 60 एकड़ के दो परिसर हैं। इसकी तीन प्रमुख गतिविधियां (1) ऑटोमोटिव ड्राइविंग प्रशिक्षण (2) यांत्रिकी प्रशिक्षण और (3) स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण के क्षेत्र में हैं।



जाफिरबॉन्ड परिसर

- i) इसका अधिकांश बुनियादी ढांचा जाफिरबॉन्ड में स्थित है। ढोलचेरा की सुविधा में 1 किमी लंबा पहाड़ी ट्रैक है। एनआईआईएमटी वर्ष 2011 से स्वचालित वाहन फिटनेस परीक्षण सुविधा के साथ चालू हुआ, शेष सुविधा 2013 में पूरी हुई।
- ii) नियामित ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ पूरी की है।
- क) परिवहन विभाग, असम सरकार ने दिनांक 19 मई 2022 ने MORTH दिशानिर्देशों के अनुसार 15 जुलाई 2022 से नैट्रिप सिलचर की स्वचालित परीक्षण सुविधा में केवल कछार जिले में वाणिज्यिक वाहन (अनिवार्य) का फिटनेस परीक्षण शुरू करने का औपचारिक निर्देश जारी किया।
- ख) वाणिज्यिक वाहनों के फिटनेस परीक्षण के संबंध में परिवहन विभाग, असम सरकार से मंजूरी मिलने के बाद, एनआईआईएमटी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 4819 वाणिज्यिक वाहनों का परीक्षण किया है।



फिटनेस परीक्षण

ग) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान (डीटीआई) ने एलएमवी फ्रेशर प्रशिक्षण, एचएमवी के लिए शुरुआती पाठ्यक्रम और भारी मोटर वाहन चालक और विशेष कार्यक्रमों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए स्व-प्रायोजित और अन्य प्रायोजित श्रेणी के तहत नियमित ड्राइविंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। एलएमवी श्रेणी में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवार 400, एचएमवी श्रेणी में 22 और पुनश्चर्या श्रेणी में 5 हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिसमें शामिल हैं:

- कछार जिले के लिए सफलतापूर्वक, राज्य सरकार के संबंध में 350 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन - असम के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 50 युवाओं को कवर करते हुए ड्राइविंग में कौशल प्रशिक्षण पूरा किया गया। कुल 250 उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षित किया गया।
- जेके टायर और इसके प्रायोजित अनुसंधान संस्थान के 8 शीर्ष अधिकारियों के लिए एचएमवी श्रेणी।



प्रशिक्षण सत्र

8. प्रत्येक वर्ष 21 जून को इस प्राचीन विधा योग, जो शारीरिक तथा आध्यात्मिक शक्ति संसार को देती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता था। इसी कड़ी में, एनएबी कार्यालय ने 21 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हिस्से के रूप में योग दिवस मनाया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, वार्मअप अभ्यास कराया गया और सभी कर्मचारियों ने बैठकर और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास और प्रदर्शन किया, साथ ही इनके महत्व को भी समझाया गया।



योग दिवस

9. आधिकारिक कामकाज में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, एनएबी कार्यालय ने 14 से 29 सितंबर, 2022 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया। अभियान के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। की गई गतिविधियों में शामिल हैं: (i) निबंध प्रतियोगिता (ii) पत्र लेखन (iii) अनुवाद प्रतियोगिता (iv) शपथ ग्रहण आदि।



हिंदी पखवाड़े

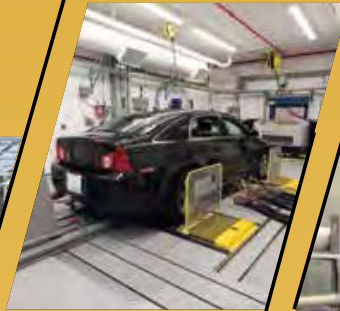
10. एनएबी के सभी परीक्षण केंद्र पूरी तरह कार्यात्मक और आत्मनिर्भर हैं तथा उद्योग को विश्व स्तरीय परीक्षण, होमोलोगेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा अपने परिचालन राजस्व से अधिशेष उत्पन्न कर रहे हैं।
11. सोसाइटी वर्तमान में अपने सभी परीक्षण केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) के लिए परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह प्रयास मोटर वाहन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।

NAB

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

वित्तीय सूचना 2022-2023





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र

31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कॉर्पस/पूँजी निधि एवं देयताएं			
कॉर्पस फंड/पूँजी फंड	1	1516,80,21,313	1484,15,30,077
आरक्षित एवं अधिशेष	2	521,61,64,174	615,10,73,422
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	2,85,33,510	20,62,96,275
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	611,65,00,000	611,65,00,000
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	320,70,67,486	340,37,94,226
कुल		2973,62,86,483	3071,91,94,000
संपत्ति			
अचल संपत्तियां	8	20,02,25,60,584	22,17,70,28,796
निवेश-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।	11	971,37,25,899	854,21,65,204
विविध व्यय (जहां तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित न किया गया हो)			
कुल		2973,62,86,483	30,71,91,94,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-

(सीए, मुकेश छाजेड़)

एम. नं.: 096779

यूडीआईएन: 24096778BKCZCD1664

Sd/-

प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-

निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर

निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-

सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 01-07-2024

स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	2,86,74,40,569	2,40,70,10,920
अनुदान/सब्सिडी	13	1,00,05,05,654	10,54,23,10,623
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधियों से निधियों में अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय.	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	27,01,47,051	18,13,80,909
अन्य आय	18	81,76,824	2,20,60,387
तैयार माल और प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल (क)		414,62,70,098	1315,27,62,840
व्यय			
स्थापना व्यय	20	72,07,78,722	69,48,00,292
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	81,08,83,071	187,95,36,804
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	50,23,573	3,12,19,621
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल शुद्ध राशि - अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	223,22,91,068	242,35,75,491
कुल (ख)		376,89,76,434	502,91,32,208
शेष राशि व्यय से आय का आधिक्य (क-ख)		37,72,93,664	812,36,30,632
शेष राशि कार्पस फंड में दिए गए अनुदान से अधिक है		-	-
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में स्थानांतरण		(11,58,083)	(3,04,57,874)
अनुसंधान एवं विकास आरक्षित निधि में स्थानांतरण		5,61,93,918	4,25,89,232
दावा न किए गए आरक्षित निधि में स्थानांतरण		(51,069)	6,85,690
शेष राशि अतिरिक्त अधिशेष/(घाटा) आरक्षित एवं अधिशेष/कार्पस निधि में ले जाई जाती है।		32,23,08,898	811,08,13,584
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25		

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096779
यूडीआईएन: 24096778BKCZCD1664

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 01-07-2024
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

तुलनपत्र

31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	एनएबी फेम	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रेक्स	नियामित	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
कॉर्पोस/पूँजी निधि एवं देयताएं	1	-	15,16,80,21,313	-	-	-	-	1516,80,21,313	1484,15,30,077
कॉर्पोस फंड/पूँजी फंड	2	-	(2,40,12,25,355)	6,50,12,24,351	63,36,09,141	55,68,61,508	(7,43,05,472)	521,61,64,174	615,10,73,422
आरक्षित एवं अधिशेष	3	2,85,33,510	-	-	-	-	-	2,85,33,510	20,62,96,275
निधिरहित निधि	4	-	-	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	5	-	6,11,65,00,000	-	-	-	-	611,65,00,000	611,65,00,000
असुरक्षित ऋण और उधार	6	-	-	-	-	-	-	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	7	43,95,32,558	2,03,83,90,915	66,03,79,116	6,53,40,661	(33,85,958)	68,10,194	320,70,67,486	340,37,94,226
वर्तमान देयताएं और प्रावधान		46,80,66,069	2,092,16,86,872	716,16,03,467	69,89,49,802	55,34,75,550	(6,74,95,278)	2973,62,86,483	3071,91,94,000
कुल									
संपत्ति	8								
अचल संपत्तियां	8 क	14,871	1,69,15,891	122,89,37,059	5,21,54,058	3,17,49,577	7,69,472	133,05,40,929	145,55,79,013
क) प्रशासनिक परिसंपत्तियां	8 ख	-	1815,22,70,217	-	-	-	-	1815,22,70,217	1950,84,93,786
ख) परियोजना परिसंपत्तियां	8 ग	-	52,62,31,087	1,35,18,351	-	-	-	53,97,49,438	121,29,55,997
ग) पूँजी (कार्य प्रगति पर)	8 घ	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश-निधिरहित/बोरोवस्ती निधि से	9	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण अग्रिम आदि	11	46,80,51,198	2,22,62,69,677	5,91,91,48,057	64,67,95,743	52,17,25,973	(6,82,64,750)	9,71,37,25,899	8,54,21,65,204
कुल		46,80,66,069	2,092,16,86,872	716,16,03,467	69,89,49,802	55,34,75,550	(6,74,95,278)	2973,62,86,483	3071,91,94,000
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24								
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25								

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के अनुसार प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चाटर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सीए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKCZCD1664

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आप्टर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आप्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 01-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों का विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची संख्या	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय									
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-	2,14,58,35,849	48,65,38,674	23,01,98,514	48,67,532	2,86,74,40,569	2,40,70,10,920
अनुदान/सब्सिडी	13	97,70,404	98,68,69,760	38,65,490	-	-	-	1,00,05,05,654	10,54,23,10,823
शुल्क/सदस्यता	14	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित नधियों से नधियों में अंतरित)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-	-	-	-	-
अर्जित व्याज	17	-	-	23,39,85,733	1,94,59,961	1,66,40,413	60,944	27,01,47,051	18,13,80,909
अन्य आय	18	-	-	53,68,232	10,56,350	10,13,301	7,38,940	81,76,824	2,20,60,387
तेराप माल और प्रणित कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)		97,70,404	98,68,69,760	238,90,55,304	50,70,54,985	24,78,52,229	56,67,416,41	414,62,70,098	131,52,62,840
स्थापना व्यय									
अन्य प्रशासनिक व्यय	20	-	3,45,54,214	54,35,33,825	8,14,90,047	4,36,02,710	1,75,97,925	72,07,78,722	69,48,00,292
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	21	97,67,397	2,34,87,786	51,51,38,646	17,35,57,532	8,13,05,019	76,26,690	81,08,83,071	1,87,95,36,804
व्याज	22	-	-	50,23,573	-	-	-	50,23,573	3,12,19,621
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में शुद्ध कुल - अनुसूची 8 के अनुरूप)	23	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	3,006	201,66,92,119	20,26,90,059	86,03,751	41,92,534	1,09,598	223,22,91,068	242,35,75,491
कुल (ख)		97,70,404	2,07,47,34,119	1,26,63,86,103	26,36,51,331	12,91,00,264	2,53,34,213	3,76,89,76,434	5,02,91,32,208
रेण राशि आय से व्यय का ओवर/व्यय से आय का ओवर/ (क-ख)	-	-	(1,08,78,64,359)	1,12,26,69,201	24,34,03,654	11,87,51,965	(1,96,66,797)	37,72,93,664	8,12,36,30,632
रेण राशि कार्पस फंड में दिए गए अनुदान से अधिक है	-	-	-	(11,58,083)	-	-	-	-	-
अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में स्थानांतरण	-	-	-	5,61,93,918	-	-	-	(11,58,083)	(3,04,57,874)
अनुसंधान एवं विकास आर्क्षित निधि में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	5,61,93,918	4,25,89,232
दावा न किए गए आर्क्षित निधि में स्थानांतरण	-	-	-	(51,069)	-	-	-	(51,069)	6,85,690
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	-	(1,08,78,64,359)	1,06,76,84,435	24,34,03,654	11,87,51,965	(1,96,66,797)	32,23,08,898	8,11,08,13,584
आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स	25	-	-	-	-	-	-	-	-

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चाटर्ड अकाउंटेंट

Sd/-
(सीए, मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096778
यूडीआईएन: 24096778BKZCZCD1664
दिनांक: 01-07-2024
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग अप्पटर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग अप्पटर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)								
विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 1- कॉर्पस फंड/पूंजीगत फंड								
क) नैट्रिप परियोजना अनुदान								
भारत सरकार से अनुदान - प्रारंभिक शेष	-	1354,75,74,114	-	-	-	-	1354,75,74,114	2896,95,28,713
जोड़ें: आय और व्यय खाते से लिए गए अनुदान पर शेष अतिरिक्त राशि	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएँ: अरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण	-	(1,31,33,60,996)	-	-	-	-	(1,31,33,60,996)	1,57,69,47,232
घटाएँ: आस्थगित आय (एस-12 के अनुसार)	-	91,71,76,113	-	-	-	-	91,71,76,113	1042,28,72,727
घटाएँ: परियोजना परिसंपत्तियों की लागत एआरआई	-	-	-	-	-	-	-	296,19,48,784
घटाएँ: परियोजना परिसंपत्तियों की लागत वीआरडीई	-	-	-	-	-	-	-	46,01,85,855
घटाएँ: भारत सरकार को अनुदान वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कुल अनुदान		1394,37,58,997					1394,37,58,997	1354,75,74,114
उपयोगकर्ता शुल्क - प्रारंभिक शेष	-	50,00,00,000	-	-	-	-	50,00,00,000	50,00,00,000
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल उपयोगकर्ता अनुदान		50,00,00,000	-	-	-	-	50,00,00,000	50,00,00,000
कुल एनएबी /एनएट्रिप अनुदान		1444,37,58,997			-	-	1444,37,58,997	1498,74,21,431
ख) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के लिए परीक्षण सुविधा अवसरचना हेतु निधि								
भारत सरकार से अनुदान - प्रारंभिक शेष	-	79,39,55,963	-	-	-	-	79,39,55,963	91,00,00,000
घटाएँ: आस्थगित आय (ए एस-12 के अनुसार)	-	6,96,93,647	-	-	-	-	6,96,93,647	11,60,44,037
कुल विद्युत वाहन (ईवी) अनुदान		72,42,62,316	-	-	-	-	72,42,62,316	79,39,55,963
कुल		1516,80,21,313			-	-	1516,80,21,313	1578,13,77,394

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

विवरण		एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रेक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	(राशि ₹ में) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 2- आरक्षित एवं अधिशेष									
व्यय पर आय का आधिक्य/(आय पर व्यय का आधिक्य)									
प्रारंभिक जमा				510,02,16,178	39,02,05,487	43,81,09,543	(5,46,38,676)	5,87,38,92,533	(3,82,53,90,283)
जोड़ें: आरक्षित एवं अधिशेष में स्थानांतरण			(1,31,33,60,996)					(1,31,33,60,996)	-
जोड़ें: वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष			(1,08,78,64,359)	106,76,84,435	24,34,03,654	11,87,51,965	(1,96,66,796)	32,23,08,898	8,12,23,35,584
घटाएँ: परियोजना निधि/कॉर्पस निधि में स्थानांतरण			(2,40,12,25,355)	6,16,79,00,613	63,36,09,141	55,68,61,508	(7,43,05,472)	-	(1,57,69,47,232)
संपत्ति कोष								4,88,28,40,435	5,87,38,92,533
प्रारंभिक जमा				12				12	12
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/(बनाया गया)								-	-
आर एंड डी रिजर्व फंड				12				12	12
प्रारंभिक जमा				26,30,69,349		-	-	26,30,69,349	22,04,80,117
जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाया गया				5,61,93,918		-	-	5,61,93,918	4,25,89,232
अग्रगत आरक्षित निधि				31,92,63,267		-	-	31,92,63,267	26,30,69,349
प्रारंभिक जमा				1,41,11,528		-	-	1,41,11,528	1,34,25,838
जोड़ें: वर्ष के दौरान बनाया गया				-		-	-	-	6,85,690
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/समायोजित				51,069		-	-	51,069	-
कुल			(2,40,12,25,355)	6,50,12,24,351	63,36,09,141	55,68,61,508	(7,43,05,472)	5,21,61,64,173	6,15,10,73,422

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

31 मार्च, 2023 का

विवरण	एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैटैक्स	नियामित	(राशि ₹ में)	
							31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 3-निर्धारित/बंदोबस्ती निधि								
क 1) डीआईडीएम फंड								
क) फंड का प्रारंभिक शेष	20,62,96,275	-	-	-	-	-	20,62,96,275	41,60,49,691
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	9,90,00,00,000	-	-	-	-	-	9,90,00,00,000	4,99,00,00,000
I. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
II. निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
III. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अनुदान की वापसी	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) उपलब्ध निधि का देय प्रत्यावर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क 1)	10,10,62,96,275						10,10,62,96,275	5,40,60,49,691
ख1) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय								
I. पूंजीगत व्यय								
- अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
II. राजस्व व्यय								
वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि।	-	-	-	-	-	-	-	-
किराया	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-
डीआईडीएम फंड के लिए भुगतान किया गया व्यय	10,50,77,07,454	-	-	-	-	-	10,50,77,07,454	4,69,58,74,886
घटाएँ: पिछले वर्ष देय अनुदान का प्रत्यावर्तन	(72,08,87,689)	-	-	-	-	-	(72,08,87,689)	(21,70,09,159)
डीआईडीएम फंड के लिए देय व्यय	29,09,43,000						29,09,43,000	72,08,87,689
डीआईडीएम फंड प्राप्य का प्रत्यावर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ख 1)	10,07,77,62,765						10,07,77,62,764	5,19,97,53,416
कुल (क1-ख1)	2,85,33,510						2,85,33,511	20,62,96,275

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैटैक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 4- सुरक्षित ऋण और उधार								
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
2. राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
4. बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) उपार्जित एवं देय ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-	-	-	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 5- असुरक्षित ऋण और उधार								
भारत सरकार से ऋण निधि - प्रारंभिक शेष	-	611,65,00,000	-	-	-	-	611,65,00,000	5,94,65,00,000
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	17,00,00,000
- वित्तीय संस्थानों	-	-	-	-	-	-	-	-
- बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सावधि ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
- अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	-	-	-	-	-	-	-	-
-डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
-सावधि जमा	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	611,65,00,000	-	-	-	-	611,65,00,000	611,65,00,000
अनुसूची 6-आस्थगित ऋण देयताएं								
क) पूंजी उपकरण और अन्य परिसंपत्ति के दृष्टिबंधन द्वारा सुरक्षित	-	-	-	-	-	-	-	-
स्वीकृति	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैटवक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 7- वर्तमान देयताएं और प्रावधान								
7 (क) वर्तमान देयताएं								
1. स्वीकृतियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विविध ऋणदाता	-	-	-	-	-	-	-	-
क) माल के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य के लिए	-	1,88,10,774	18,34,53,392	2,17,19,672	3,03,33,962	2,16,789	25,45,34,589	12,73,09,238
3. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	-	-	48,59,61,080	47,03,220	45,28,021	2,46,088	49,54,38,409	31,60,70,907
4. अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सुरक्षित ऋण / उधार	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) असुरक्षित ऋण / उधार	-	-	-	-	-	-	-	-
5. वैधानिक दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अतिदेय	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य	2,27,072	12,81,614	71,82,627	80,50,923	96,82,810	43,954	2,64,69,001	2,83,18,808
6. अन्य वर्तमान देयताएं	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु देय अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) देय व्यय	1,09,640	3,04,37,048	1,53,05,400	58,46,838	2,59,85,423	66,88,516	8,43,72,865	26,43,57,802
ग) प्रतिधारण धन	-	46,22,83,539	-	-	16,82,774	-	46,39,66,313	61,00,13,916
घ) भारत सरकार को देय चलनिधि क्षति	-	7,31,20,813	-	-	-	-	7,31,20,813	7,30,36,097
ङ) सुरक्षा और ब्याना राशि जमा सहित अन्य देयताएं	-	77,08,80,741	1,59,09,504	8,96,544	61,470	-	78,77,48,259	78,68,13,437
च) अंतर शाखा शेष	-	18,47,45,119	(10,25,48,592)	-	(8,13,80,508)	(8,16,019)	-	-
छ) प्रदर्शन बैंक गारंटी और अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज -प्रारंभिक शेष	9,68,271	36,21,30,961	-	-	-	-	36,30,99,232	47,91,27,635
घटाएं: ब्याज को भारत की समेकित निधि में जमा करें	-	1,14,33,401	-	-	-	-	1,14,33,401	23,07,92,766
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	4,43,92,259	11,16,01,565	-	-	-	-	15,59,93,824	11,47,64,363
भारत सरकार को देय प्रदर्शन बैंक गारंटी और अप्रयुक्त अनुदान पर शुद्ध ब्याज - अंतिम शेष	4,53,60,530	46,22,99,125	-	-	-	-	50,76,59,655	36,30,99,233
कुल (क)	4,56,97,242	2,00,38,58,773	60,52,63,411	4,12,17,197	(91,06,048)	63,79,328	2,69,33,09,904	2,56,90,19,437

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

विवरण	एनएबी (फेम)	नैटिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैटिक्स	निधामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	(राशि ₹ में) 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
7 (ख) प्रावधान								
1) कराना के लिए	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ग्रैचुटी	-	1,04,15,311	1,14,54,084	1,50,79,627	10,21,692	3,61,838	3,83,32,552	4,53,79,469
3) सुपरएनुएशन/पेंशन	-	-	2,36,77,466	-	-	-	2,36,77,466	2,15,72,092
4) संचित अवकाश नकदीकरण	-	32,14,815	1,83,23,419	90,43,837	46,98,398	69,028	3,53,49,497	3,28,50,985
5) व्यापारी वारंटी/दावे	-	-	-	-	-	-	-	-
6) वर्ष के अंत में देय डीआईडीएम अनुदान का प्रावधान	29,09,43,000	-	-	-	-	-	29,09,43,000	72,08,87,689
कुल (ख)	29,09,43,000	1,36,30,126	5,34,54,969	2,41,23,464	57,20,090	4,30,866	38,83,02,515	82,06,90,235
7 (ग) अन्य परियोजना अनुदान								
क) स्थापना एवं अवसंरचना निधि								
प्रारंभिक जमा	1,26,62,720	-	-	-	-	-	1,26,62,720	1,68,16,833
वर्ष के दौरान वृद्धि	10,00,00,000	-	-	-	-	-	10,00,00,000	1,00,00,000
घटाएँ: वर्ष के दौरान किया गया व्यय	97,70,404	-	-	-	-	-	97,70,404	1,41,54,113
	10,28,92,316						10,28,92,316	1,26,62,720
ख) एनएआईएम, एनएबी और अन्य नई पहल								
ग) डीसीसीआईआई - नोडल एजेंसी फंड		3,016	-	-	-	-	3,016	3,016
ड) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं-प्राप्त राशि		2,08,99,000	28,18,819	-	-	-	2,08,99,000	-
घटाएँ: कुल व्यय राशि	-	-	11,58,083	-	-	-	11,58,083	2,93,22,770
	-	-	16,60,736	-	-	-	16,60,736	2,79,03,952
कुल (ग)	10,28,92,316	2,09,02,016	16,60,736	-	-	-	12,54,55,068	1,40,84,554
कुल चालू देयताएं और प्रावधान (क+ख+ग)	43,95,32,558	2,03,83,90,915	66,03,79,116	6,53,40,661	(33,85,958)	68,10,194	3,20,70,67,487	3,40,37,94,226

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैटिप) के सभी प्रभागों सहित तुलनपत्र की अचल संपत्तियों की अनुसूची 31 मार्च, 2023 को

अनुसूची-8/ए
(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास						नेट ब्लॉक	
	1.4.22 को	01.10.2022 से पहले के वर्ष के दौरान जो	01.10.2022 के बाद के वर्ष के दौरान जो	वर्ष के दौरान समायोजन/ विक्री/ हस्तांतर	31.03.23 तक	01.04.22 तक	मूल्यहास की दर	इस वर्ष प्रदान की गई	समायोजन/ कटौतियां	कुल 31.03.23 तक	31.03.23 तक	31.03.22 तक
1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
भवन (निःशुल्क/लीज भूमि पर)	36,69,94,477	1,78,649	22,40,701		36,94,13,827	9,88,90,898	10%	2,69,40,258		12,58,31,156	24,35,82,672	26,81,03,580
फर्नीचर एवं फिक्सचर	9,30,48,467	2,50,994	7,99,052	2,02,068	9,38,96,445	4,11,78,204	10%	52,38,437	(64,551)	4,63,52,090	4,75,44,354	5,18,70,263
कार्यालय उपकरण	12,04,08,114	94,31,599	1,11,40,351	18,47,388	13,91,32,676	4,97,72,587	15%	1,24,74,316	(8,85,847)	6,13,61,056	7,77,71,620	7,06,35,527
कंप्यूटर और बाह्य उपकरण	7,74,39,182	53,30,350	1,72,19,556	64,61,182	9,35,27,926	6,56,19,603	40%	1,00,41,539	(58,05,296)	6,98,55,846	2,36,72,080	1,18,19,579
एयर कंडीशनर	5,04,35,301	4,76,399	6,01,575		5,15,13,275	1,96,99,186	15%	47,26,995		2,44,26,181	2,70,87,093	3,07,36,115
वाहनों	4,67,03,380	10,38,879	23,47,323		5,00,89,582	2,78,49,290	15%	32,15,039		3,10,64,329	1,90,25,253	1,88,54,090
अमूर्त संपत्ति	3,08,143				3,08,143	1,15,812	25%	48,083		1,63,895	1,44,248	1,92,331
पौधे व यंत्र	1,79,52,56,953	2,08,11,936	2,29,73,880	29,13,534	1,83,61,29,235	84,05,29,093	15%	14,81,72,351	(21,86,890)	98,65,14,554	84,96,14,681	95,47,27,860
विद्युत स्थापना	9,65,60,176	9,48,212		1,05,134	9,74,03,254	4,79,20,519	15%	74,29,222	(45,410)	5,53,04,331	4,20,98,923	4,86,39,657
फुटकर उपकरण	6,01,807				6,01,807	6,01,807	100%			6,01,807	-	-
पूँजी आरक्षित के अंतर्गत परिसंपत्तियां (एआरआई)-12/1 रुपये प्रत्येक	12				12	-				-	12	12
कुल वित्तीय वर्ष 2022-23	264,77,56,012	3,84,67,018	5,73,22,438	1,15,29,286	273,20,16,182	119,21,77,000		21,82,86,240	(89,87,994)	140,14,75,246	133,05,40,936	145,55,79,014
कुल वित्तीय वर्ष 2021-22	253,40,61,589	4,80,26,182	10,79,45,256	4,22,77,015	264,77,56,012	100,14,90,561		23,08,34,564	(4,01,48,125)	119,21,77,000	145,55,79,014	33,003

नोट: * उपरोक्त परिसंपत्तियां सोसायटी द्वारा एआरआई-आरसीएन के अधिग्रहण के समय निःशुल्क अधिग्रहित की गई हैं तथा प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 दर्शाया गया है।

** दिनांक 01.04.2022 तक सकल मूल्य ₹25,60,781/- (डब्ल्यूडीजी ₹15,15,574/-) को कार्यालय उपकरण-एनपीआईएएक्स से प्लॉट एवं मशीनरी-एनपीआईएएक्स में पुनर्समूहित किया गया है, जिसे गलत तरीके से समूहीकृत किया गया था

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अचल परिसंपत्तियाँ की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

अनुसूची-8/ख
(राशि ₹ में)

प्रभाग	सकल ब्लॉक	मूल्यहास	समायोजन/बुट्टे खाते में डालना	मूल्यहास (01.04.2005 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए)	नेट ब्लॉक
नियामित, सिलचर					
भूमि (लीज होल्ड)	18,42,431	0%		-	18,42,431
भूमि (फ्री होल्ड)	1,87,68,085	0%		-	1,87,68,085
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि (लीज/फ्री होल्ड भूमि पर)	50,20,56,111	10%		34,51,81,083	15,68,75,028
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	3,11,279	40%		3,05,470	5,809
पौधे व यंत्र	10,42,41,805	15%		8,28,35,432	2,14,06,373
कुल- नियामित, सिलचर	62,72,19,711			42,83,21,985	19,88,97,726
जीएआरसी, चेन्नई					
भूमि (लीज होल्ड)	65,20,23,913	0%		-	65,20,23,913
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि (लीज होल्ड भूमि पर)	467,10,59,488	10%		194,53,86,201	272,56,73,287
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	7,85,95,269	40%		7,68,39,911	17,55,358
पौधे व यंत्र	377,62,67,700	15%		179,05,70,669	198,56,97,031
कुल-गार्क, चेन्नई	917,79,46,370			381,27,96,781	536,51,49,589
आईकैट, मानेसर					
भूमि (फ्री होल्ड)	167,21,65,350	0%		-	167,21,65,350
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि (फ्री होल्ड भूमि पर)	221,83,65,015	10%		110,08,20,941	111,75,44,074
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	23,01,10,583	40%		22,56,68,544	44,42,039
पौधे व यंत्र	519,58,67,110	15%		325,20,34,805	194,38,32,305
कुल-आईकैट, मानेसर	931,65,08,058			457,85,24,290	473,79,83,768
नैट्रैक्स, इंदौर					
भूमि (लीज होल्ड)	34,90,338	0%	34,89,557	-	781
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि (लीज होल्ड भूमि पर)	1166,01,91,688	10%	13,61,14,916	442,33,57,803	710,07,18,969
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित कंप्यूटर	1,73,60,854	40%	-	1,72,16,596	1,44,258
पौधे व यंत्र	76,02,49,688	15%	31,86,035	40,52,82,394	35,17,81,259
कुल-नैट्रैक्स, इंदौर	1244,12,92,568		14,27,90,508	484,58,56,793	745,26,45,267
एनसीवीआरएस/एडीएसी, रायबरेली (आईकैट में स्थानांतरण)					
सिविल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल, ट्रैक, सड़क आदि।	63,12,838	10%	18,81,984	44,30,854	-
पौधे व यंत्र	1,37,46,885	15%	4,69,498	1,06,14,187	26,63,200
कुल-एनसीवीआरएस/एडीएसी, रायबरेली	2,00,59,723		23,51,482	1,50,45,041	26,63,200
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना					
पौधे व यंत्र	58,06,68,351	15%		18,57,37,684	39,49,30,667
कुल-इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना	58,06,68,351			18,57,37,684	39,49,30,667
कुल योग	3216,36,94,781		14,51,41,990	1386,62,82,574	18,15,22,70,217
घटाएँ: वित्त वर्ष 2021-22 तक पहले से ही लगाया गया मूल्यहास				1185,22,77,759	
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना परिसंपत्तियों पर लगाया गया मूल्यहास				201,40,04,815	



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उप-अनुसूची 8 (ख) परियोजना परिसंपत्तियां								
क) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियां								
आईकैट- मानेसर		473,79,83,768	-	-	-	-	473,79,83,768	520,87,24,907
जी.ए.आर.सी.- चेन्नई		536,51,49,589	-	-	-	-	536,51,49,589	536,28,34,895
नियामित-सिलचर		19,88,97,726	-	-	-	-	19,88,97,726	21,85,79,278
नैट्रिक्स-इंदौर		745,26,45,267	-	-	-	-	745,26,45,267	827,29,61,507
एनसीबीआरएस/एडीएसी- रायबरेली (आईकैट में स्थानांतरण)		26,63,200	-	-	-	-	26,63,200	31,33,176
ख) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना								
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना		39,49,30,667	-	-	-	-	39,49,30,667	44,22,60,023
कुल		1815,22,70,217	-	-	-	-	1815,22,70,217	1950,84,93,786
उप अनुसूची 8 (ग) प्रगति पर पूंजीगत कार्य								
क) नैट्रिप परियोजना								
एआरआई - पुणे		-	-	-	-	-	-	-
आईकैट- मानेसर		5,53,49,546	1,35,18,351	-	-	-	6,88,67,897	7,07,73,847
जी.ए.आर.सी.- चेन्नई		44,61,02,264	-	-	-	-	44,61,02,264	104,72,16,362
नैट्रिक्स-इंदौर		79,76,715	-	-	-	-	79,76,715	5,57,19,077
एनसीबीआरएस/एडीएसी- रायबरेली		-	-	-	-	-	-	-
नियामित-सिलचर		-	-	-	-	-	-	15,30,475
ख) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परियोजना								
इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना		1,68,02,562	-	-	-	-	1,68,02,562	3,77,16,236
कुल	-	52,62,31,087	1,35,18,351	-	-	-	53,97,49,438	121,29,55,997

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 9- निधारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 10- निवेश-अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-	-	-	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-	-	-	-	-	-	-
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-	-	-	-	-
6. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

		(राशि ₹ में)						
विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 11- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि।								
11 (क)-वर्तमान परिसंपत्तियां								
1. इन्वेंटरी	-	-	1,18,68,259	13,47,104	-	-	1,32,15,363	3,42,67,404
क) स्टोर और स्पेयर्स								
ख) फुटकर उपकरण								
ग) स्टॉक इन ट्रेड								
-तैयार माल								
-कार्य प्रगति पर								
-कच्चा माल								
2. विविध देनदार								
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-	1,93,96,697	1,64,10,091	64,67,194	34,09,000	4,56,82,982	2,91,86,987
ख) अन्य	-	-	63,20,64,064	10,97,16,275	9,69,69,267	-	83,87,49,606	60,58,03,415
3. हाथ में नकद शेष	-	-	37,472	-	-	-	37,472	43,970
4. बैंक बैलेंस								
क) अनुसूचित बैंकों के साथ								
- चालू खाता	1,33,36,217	1,33,36,217	62,20,287	52,21,375	2,05,049	5,98,684	2,55,81,612	5,66,43,223
- जमा खाता	177,45,23,638	177,45,23,638	387,74,59,870	46,63,28,972	31,79,34,388	-	643,62,46,867	512,63,06,410
- बचत खाता	11,07,17,520	11,07,17,520	10,18,44,927	19,04,45,921	1,81,37,430	28,17,335	89,20,09,873	1,26,33,25,186
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ								
- चालू खाता	46,80,46,740				1,38,08,843		1,38,08,843	69,02,372
- जमा खाता								
- बचत खाता								
5. डाकघर बचत खाता	-	-					-	
कुल (क)	46,80,46,740	1,89,85,77,375	4,64,88,91,576	78,94,69,737	45,35,22,172	68,25,019	8,26,53,32,620	7,12,24,78,966

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
तुलनपत्र की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
11 (ख) - ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य								
1. ऋण								
क) कर्मचारी								
ख) इकाई के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य संस्थाएं	-	53,76,374	1,17,00,313	1,61,32,370	12,70,268	-	3,44,79,326	4,07,24,173
2. अन्य अग्रिम एवं प्राप्य								
क) सरकारी प्राधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के पास जमा	-	5,66,10,854	70,79,69,514	9,15,58,372	5,69,61,280	3,31,214	91,34,31,235	98,95,18,854
ख) स्रोत प्राप्य पर कर करौती	-	-	87,61,559	-	-	7,83,014	95,44,573	1,98,31,196
ग) इनपुट जीएसटी प्राप्य	-	-	53,02,728	94,85,004	42,33,244	4,09,483	2,09,75,421	2,33,84,087
घ) प्रीपेड व्यय	4,458	15,40,503	-	-	-	-	2,77,536	2,95,61,666
ङ) मोबोलाइजेशन एडवांस	-	2,77,536	-	-	-	-	24,07,84,163	18,03,97,649
च) विविध अग्रिम एवं प्राप्य	-	4,58,18,760	18,88,28,617	52,82,536	7,13,787	1,40,464	-	-
छ) अंतर शाखा शेष	-	15,47,32,361	20,48,61,743	(28,78,65,381)	50,25,221	(7,67,53,944)	-	-
2. प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूल किए जाने वाले अग्रिम और अन्य राशिवाँ:								
क) पूंजी खाते पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पूर्व भुगतान पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अर्जित आय:								
क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि से निवेश पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) निवेश पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य (जमा पर अर्जित ब्याज)	-	6,33,35,913	14,28,32,007	2,27,33,104	-	-	22,89,01,024	13,62,68,613
4. प्राप्य दावे								
कुल (ख)	4,458	32,76,92,303	1,27,02,56,481	(14,26,73,994)	6,82,03,800	(7,50,89,769)	1,44,83,93,279	1,41,96,86,238
कुल (क+ख)	46,80,51,198	2,22,62,69,677	5,91,91,48,057	64,67,95,743	52,17,25,973	(6,82,64,750)	9,71,37,25,899	8,54,21,65,204

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)									
विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
अनुसूची संख्या 12- बिक्री/सेवाओं से आय									
1. बिक्री से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्क्रेप की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड) परीक्षण सेवाओं से आय	-	-	252,02,27,735	57,27,33,950	27,39,01,759	52,61,737	337,21,25,180	281,70,33,688	
घटाएँ: भुगतान किया गया जीएसटी	-	-	37,43,91,886	8,61,95,276	4,37,03,244	3,94,205	50,46,84,611	41,00,22,768	
कुल	-	-	214,58,35,849	48,65,38,674	23,01,98,514	48,67,532	286,74,40,569	240,70,10,920	
अनुसूची संख्या 13- अनुदान/सब्सिडी									
1. केन्द्र सरकार	-	-	38,65,490	-	-	-	38,65,490	7,61,747	
2. राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. संस्थाएं/कल्याणकारी संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-	-	-	-	-	-	-	
6) नैट्रिप परियोजना परिसंपत्तियों और स्थापना तथा बुनियादी ढांचे के व्यय पर मूल्यहास के लिए आस्थगित अनुदान (अनुसूची 25 के नोट संख्या देखें)	97,70,404	98,68,69,760	-	-	-	-	99,66,40,164	1054,15,48,876	
कुल	97,70,404	98,68,69,760	38,65,490	-	-	-	1,00,05,05,654	10,54,23,10,623	

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फ़ैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 14- शुल्क/सदस्यता								
1. प्रवेश शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-	-	-	-	-	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 15- निवेश से आय (निवेश पर आय, निर्धारित/अनुदानित निधि से निधियों में स्थानांतरित)								
1) ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	-	-	-	-	-	-	-	-
2) लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3) किराया	-	-	-	-	-	-	-	-
4) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 16- रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय								
1. रॉयल्टी से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 17- अर्जित व्याज								
1) सावधि जमा								
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	19,59,11,983	-	1,34,83,031		20,93,95,014	17,45,85,859
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	3,25,48,408	24,01,526	23,11,794		3,72,61,729	2,33,715
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	42,86,675	1,70,58,434	8,45,588	60,944	2,22,51,641	53,07,965
घ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
2) बचत खाते पर	-	-	-	-	-	-	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) संस्थाओं के साथ	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ऋण पर	-	-	-	-	-	-	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-	12,38,667	-	-	-	12,38,667	12,53,370
ख) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य पर व्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आयकर रिफंड पर व्याज	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	23,39,85,733	1,94,59,961	1,66,40,413	60,944	27,01,47,051	18,13,80,909

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित
आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फेम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 18- अन्य आय								
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-	52,152	-	-	-	52,152	17,160
ख) अनुदान से प्राप्त संपत्तियां, या निःशुल्क प्राप्त संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
4. विविध आय	-	-	-	-	-	-	-	-
क) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	-	-	39,22,431	10,56,350	10,13,301	10,367	60,02,450	1,88,14,137
ख) विविध आय	-	-	13,93,649	-	-	7,28,573	21,22,222	32,29,090
ग) पूर्व अवधि की आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	53,68,232	10,56,350	10,13,301	7,38,940	81,76,824	2,20,60,387
अनुसूची संख्या 19- तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)								
1) अंतिम स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) तैयार माल	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-
2. घटाएँ प्रारंभिक स्टॉक	-	-	-	-	-	-	-	-
क) तैयार माल	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-
अनुसूची संख्या 20- स्थापना व्यय								
क) वेतन एवं मजदूरी	2,61,39,435	40,02,42,909	5,87,92,962	3,14,23,057	1,40,29,006	53,06,27,369	53,35,74,543	81,57,930
ख) भूतें और बोनस	12,96,358	34,38,445	20,54,229	19,85,936	4,45,988	92,20,956	92,20,956	3,89,42,992
ग) भविष्य निधि में योगदान	23,37,031	3,32,17,307	54,66,702	61,85,921	24,14,522	4,96,21,483	7,272	12,344
घ) अन्य निधि में योगदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण निधि	5,73,106	3,55,75,921	92,75,994	8,77,051	2,70,271	4,65,72,343	3,80,74,790	5,90,51,435
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और समाप्ति लाभ पर व्यय	27,86,524	5,34,54,969	35,44,484	14,26,006	4,30,866	6,16,42,849	2,30,86,450	1,69,86,258
छ) अन्य	14,21,760	1,76,04,274	23,55,676	17,04,740	-	-	-	-
कुल	3,45,54,214	54,35,33,825	8,14,90,047	4,36,02,710	1,75,97,925	72,07,78,722	69,48,00,292	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

(राशि ₹ में)

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुसूची संख्या 21- अन्य प्रशासनिक व्यय								
क) खरीदारी			-			-	-	-
ख) श्रम और प्रसंस्करण व्यय			-			-	-	-
ग) कारतूस और गाड़ी अंदर की ओर			14,41,09,634	6,04,35,066	86,22,198	12,69,616	21,44,36,514	16,47,01,008
घ) बिजली और ऊर्जा			58,802	25,95,560	-	-	26,54,362	11,64,209
ङ) जल आवेशित		65,663	84,60,225	41,86,401	4,93,488	5,50,669	1,37,56,446	1,31,79,559
च) बीमा		59,77,747	9,53,31,724	2,53,50,476	99,54,408	2,66,512	13,68,80,867	10,43,99,602
छ) मरम्मत और रखरखाव			-			-	-	-
ज) उत्पाद शुल्क		14,68,334	49,13,336		23,52,794	2,24,784	89,59,248	1,35,04,716
झ) किराया, दरें और कर		27,70,092	5,09,828	4,89,626	15,03,632	7,79,034	60,52,213	24,68,266
ञ) वाहन चलाना और रखरखाव		5,39,394	39,77,995	8,28,479	4,34,099	1,47,347	59,27,315	50,72,075
ट) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क		4,38,327	30,93,778	18,17,905	2,63,195	68,998	56,82,203	29,23,261
ठ) मुद्रण और स्टेशनरी		15,50,847	3,97,06,339	13,42,083	52,59,271	3,13,115	4,81,71,655	2,05,06,043
ड) यात्रा और वाहन शुल्क		10,26,072	-	8,16,059	96,48,614	-	1,80,81,822	1,34,77,175
ढ) सेमिनार/कार्यशाला पर व्यय	65,91,077		3,78,308	1,88,828	-	-	5,67,136	7,56,293
ण) सदस्यता व्यय			-			10,000	10,000	-
त) फीस पर खर्च		8,38,244	-			-	8,38,244	-
थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक			39,21,064			-	39,21,064	36,70,329
द) अतिथि व्यय		71,40,882	56,24,093	3,02,666	55,70,638	1,23,600	1,88,08,184	2,64,03,695
ध) व्यावसायिक प्रभार			-			-	-	2,07,680
न) खराब और सीदग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान			-			-	-	-
प) वसूली न की जा सकने वाली शेष राशि को बटु खोते में डाल दिया गया			-			-	-	-
फ) पैकिंग शुल्क			19,02,933	4,46,888	-	-	23,49,821	40,89,782
ब) माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय			-			-	-	-
भ) वितरण व्यय			50,08,694	3,68,038	-	-	56,45,772	36,51,651
म) विज्ञापन और प्रचार	2,69,040		29,905	2,07,202	10,417	1,630	2,54,517	98,006
य) बैंक शुल्क	389	4,973	10,36,18,792	3,04,86,248	2,68,42,068	37,95,181	16,55,51,631	12,74,47,668
र) जनशक्ति सेवाएं		8,09,342						
ल) अन्य प्रशासनिक व्यय			36,949		31,47,353		31,84,303	11,98,120

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित आय एवं व्यय लेखों की अनुसूची 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का

विवरण	एनएबी (फैम)	नैट्रिप	आईकैट	जी.ए.आर.सी.	नैट्रिक्स	नियामित	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए
व) वेबसाइट और सॉफ्टवेयर खर्च	15,72,859	4,86,714	9,39,90,585	4,25,36,336	62,25,932		15,72,859	-
श) परीक्षण व्यय एवं उपभोग्य वस्तुएं	12,87,727	3,71,155	4,65,662	11,59,671	9,76,911	76,204	14,32,39,567	14,23,94,657
घ) पूर्व अवधि व्यय							43,37,329	25,90,151
स) परियोजना परिसंपत्तियों पर पूर्व अवधि मूल्यह्रास							-	95,95,86,770
ह) क्लॉउड स्टोरेज व्यय							-	24,59,849
क्ष) व्यय बट्टे खाते में डाला गया							-	
एनसीवीआरएस के लिए यूपीएसआईडीसी, फैजाबाद को							-	7,32,94,265
अग्रिम राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है							-	
बट्टे खाते में डाला गया - परिचालन-पूर्व व्यय							-	4,51,49,983
(एनसीवीआरएस/एडीएसी- रायबरेली)							-	
बट्टे खाते में डाला गया- परियोजना परिसंपत्तियां							-	23,51,482
एनसीवीआरएस/एडीएसी- रायबरेली							-	
बट्टे खाते में डाला गया - परियोजना परिसंपत्तियां नैट्रिक्स							-	14,27,90,508
कुल	97,67,397	2,34,87,786	51,51,38,646	17,35,57,532	8,13,05,019	76,26,690	81,08,83,071	1,87,95,36,804
अनुसूची संख्या 22- अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय								
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अनुसंधान एवं विकास अनुदान/सरकारी अनुदान से व्यय	-	-	50,23,573	-	-	-	50,23,573	3,12,19,621
कुल	-	-	50,23,573	-	-	-	50,23,573	3,12,19,621
अनुसूची संख्या 23- ब्याज								
क) निश्चित ऋण पर	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य ऋण पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड





राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभागों सहित

वर्ष हेतु प्राप्ति और भुगतान का लेखा

31 मार्च, 2023 को

(राशि ₹ में)

प्राप्ति	31.3.23 को समाप्त वर्ष क लिए	31.3.22 को समाप्त वर्ष क लिए	भुगतान	31.3.23 को समाप्त वर्ष क लिए	31.3.22 को समाप्त वर्ष क लिए
I. प्रारम्भिक शेष			I. व्यय		
क) उपलब्ध शेष			अप्रत्यक्ष व्यय और व्यय देय		
एनएबी - फेम	-	22,870	एनएबी फेम	1051,71,67,597	469,85,77,328
नैट्रिप	-	-	नैट्रिप	2,71,72,280	3,71,93,716
आईकैट	43,970	22,986	आईकैट	47,75,33,437	52,32,49,421
जी.ए.आर.सी.	-	-	जीएआरसी	5,56,45,139	5,08,43,155
नैट्रेक्स	-	-	नैट्रेक्स	4,08,81,941	9,50,62,827
नियामित	-	11,799	नियामित	1,16,991	11,780
ख) बैंक खाते			एनएबी फेम	-	1,15,22,000
एनएबी - फेम	94,08,22,079	65,73,23,754			
नैट्रिप	34,09,38,905	40,94,19,576	II. निधियों के विरुद्ध किए गए भुगतान		
आईकैट	1,70,34,809	16,67,40,786	(निधि या परियोजना का नाम तथा प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान का विवरण दिया जाना चाहिए)		
जी.ए.आर.सी.	1,02,12,295	1,23,13,145	क) भारत सरकार से - आईकैट	34,36,091	1,50,37,775
नैट्रेक्स	41,13,097	1,52,77,147			
नियामित	68,47,223	48,52,102			
II. प्राप्त अनुदान			III. निवेश और जमा		
क) भारत सरकार से			क) निर्धारित/ बंदोबस्ती निधि में से		
एनएबी - फेम	1000,00,00,000	500,00,00,000	ख) स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)		
नैट्रिप-लोन फंड	-	17,00,00,000	आईकैट	282,29,00,000	251,32,90,966
अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए अनुदान	2,08,99,000		नैट्रिप	209,75,23,638	-
ख) राज्य सरकार से			जी.ए.आर.सी.	28,69,00,000	19,30,00,000
ग) अन्य स्रोतों से	14,00,000		नैट्रेक्स	31,66,97,562	6,93,32,365
III. निवेश पर आय			IV. अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति पर व्यय		
क) निर्धारित/अनुदानित निधि			क) अचल संपत्तियों की खरीद		
ख) स्वयं के फंड (अन्य निवेश)			नैट्रेक्स	75,71,616	-
IV. प्राप्त व्यय			ख) प्रगतित पूंजीगत कार्य पर व्यय		
क) बैंक/सावधि जमा पर			नैट्रिप	-	-
एनएबी - फेम	4,43,92,258	2,28,01,397	आईकैट	26,208	43,186
नैट्रिप	7,21,24,749	1,72,75,621	देय खाते नैट्रिप	26,68,17,059	39,84,70,360
आईकैट	11,88,98,005	16,48,40,682			
जी.ए.आर.सी.	67,09,476	1,20,36,812			
नैट्रेक्स	97,10,466	15,21,808			
नियामित	60,944	59,231			
ख) ऋण, अग्रिम आदि	2,29,276	42,30,261			
V. अन्य आय (निर्विष्ट करें)			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
शुद्ध अन्य प्राप्ति			क) भारत सरकार को		
नैट्रिप	49,30,868	44,093	नैट्रिप	-	1,47,04,920
आईकैट	7,24,973	4,82,89,478	ख) राज्य सरकार को	-	-
जी.ए.आर.सी.	8,27,276	8,140	ग) अन्य निधि प्रदाता को		
नैट्रेक्स	11,08,322	2,73,250	आईकैट		1,50,68,268
नियामित	32,82,148	65,90,028			
VI. उधार ली गई राशि			VI. वित्त प्रभार (व्याज)		
			भारत को समेकित निधि-फेम में जमा	-	2,92,26,614
			भारत को समेकित निधि में जमा- नैट्रिप	1,14,33,401	20,15,66,152
			नैट्रिप (आईकैट) को धन वापसी	-	8,69,533
VII. कोई अन्य रसीदें (विवरण दें)			VII. अन्य भुगतान (निर्विष्ट करें)		
सावधि जमा			अवधारण/ईएमडी/पीबीजी		
नैट्रिप	175,54,31,381	38,42,90,555	नैट्रिप	77,96,013	6,99,264
जी.ए.आर.सी.	11,75,00,000	12,00,00,000	आईकैट	43,03,601	1,77,14,044
नैट्रेक्स	26,06,33,295	5,95,44,926	नैट्रेक्स	17,98,529	1,54,247
आईकैट	2,05,62,00,135	1,45,75,93,920			

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



प्राधिकरण/विक्रेता/अग्रिम से प्राप्तियां			शुल्क और कर		
नैट्रिप	47,47,20,171	11,94,77,870	नैट्रिप	95,79,257	1,50,99,873
जी.ए.आर.सी.	10,05,938	1,12,084	आईकैट	37,98,52,742	38,95,90,410
नैट्रिक्स	7,34,449	37,106	जी.ए.आर.सी.	10,52,69,655	71,22,753
नियामित	4,30,858	1,44,141	नैट्रिक्स	5,96,78,000	2,93,68,424
आईकैट	14,17,45,747	3,84,80,752	नियामित	19,928	-
मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली			सुरक्षा जमा (देयता) - नैट्रिप	84,906	-
नैट्रिप	2,09,00,000	6,38,636	सुरक्षा जमा (देयता) - आईकैट	-	-
अवधारण/ईएमडी/पीबीजी			सुरक्षा जमा (देयता) - जीएआरसी		3,72,600
नैट्रिप	-	2,02,155	सुरक्षा जमा (देयता) - नियामित	50,000	-
नैट्रिक्स		37,150	विविध लेनदार		
आईकैट	47,62,507	26,67,619	आईकैट	80,14,67,566	70,51,61,749
विविध देनदार			जी.ए.आर.सी.	21,38,84,077	11,86,40,621
नैट्रिप			नैट्रिक्स	12,63,37,281	7,38,37,507
आईकैट	248,32,19,224	2,42,57,11,105	नियामित	81,68,617	61,75,607
जी.ए.आर.सी.	52,82,73,809	28,93,68,615	प्राधिकरण के पास जमा नैट्रिप (टीडीएस प्राप्य)	39,37,188	6,25,520
नैट्रिक्स	29,47,38,595	17,78,42,464	वर्तमान परिसंपत्तियां/अग्रिम		
नियामित	11,74,990	13,85,497	सुरक्षा जमा (संपत्ति) - आईकैट	6,71,737	2,48,268
सुरक्षा जमा (संपत्ति)			सुरक्षा जमा (संपत्ति) - जीएआरसी	-	2,01,27,142
नैट्रिप	2,14,83,188	84,906	अग्रिम-आईकैट	13,77,42,701	4,11,65,913
आईकैट	27,307	-	अग्रिम-नैट्रिक्स	4,14,808	2,69,834
नैट्रिक्स	-	-	अग्रिम-जीएआरसी	39,18,620	2,52,71,479
अंतर शाखा			अग्रिम-नियामित		8,188
नैट्रिप-नैट्रिक्स	15,16,084	1,82,24,905	प्राधिकरण के पास जमा-नियामित (टीडीएस प्राप्य)	24,608	-
नैट्रिप-जी.ए.आर.सी.	19,67,55,993	-	अग्रिम-नैट्रिप	11,42,91,699	9,63,64,962
			पूँजीगत व्यय-नैट्रिप	4,89,68,360	82,48,751
			नैट्रिप-जी.ए.आर.सी.	-	6,20,456
			देनदारों को धन वापसी-नैट्रिक्स	8,32,094	6,20,456
			देनदारों को धन वापसी-आईकैट	8,80,19,908	6,58,29,016
			VIII. अंतिम शेष		
			क) उपलब्ध शेष		
			एनएबी - फेम	-	-
			नैट्रिप	-	-
			आईकैट	37,472	43,970
			जी.ए.आर.सी.	-	-
			नैट्रिक्स	-	-
			नियामित	-	-
			ख) बैंक खाते		
			एनएबी - फेम	46,80,46,740	94,08,22,079
			नैट्रिप	12,40,53,737	34,09,38,905
			आईकैट	10,80,65,214	1,70,34,809
			जी.ए.आर.सी.	19,56,67,296	1,02,12,295
			नैट्रिक्स	1,83,42,479	41,13,097
			नियामित	34,16,019	68,47,224
कुल	1996,65,63,810	1180,97,99,373	कुल	1996,65,63,810	1180,97,99,373

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार पुनर्गठित लेखा

पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित

डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटSd/-
(सीए. मुकेश छाजेड़)
एम. नं.: 096779
यूडीआईएन: 24096778BKCZCD1664दिनांक: 01-07-2024
स्थान: नई दिल्लीSd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबीSd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड, एनएबी (नैट्रिप) के सभी प्रभाग शामिल हैं

अनुसूची संख्या-24

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) एक स्वायत्त निकाय है जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अगस्त, 2013 को पंजीकरण संख्या एस/एनडी/311/2013 के तहत सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका विशिष्ट उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में लॉन्च की गई फेम योजना का संचालन और निगरानी करना है।

नैट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नैटिस) भी एक स्वायत्त निकाय है जिसे राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मई, 2005 को पंजीकरण संख्या एस/53310 के माध्यम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में शामिल किया गया था। नैट्रिप को 13 जुलाई 2005 को भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था। शुरू में परियोजना लागत ₹ 1718.00 करोड़ स्वीकृत की गई थी और जुलाई, 2016 में इसे संशोधित कर ₹ 3,727.30 करोड़ कर दिया गया। नैटिस का विस्तारित कार्यकाल 31 मार्च, 2021 को पूरा हो गया है और 31 मार्च, 2021 तक कुल परियोजना व्यय ₹ 3558.60 करोड़ है।

इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय के दिनांक 17 मार्च, 2021 के पत्र के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैट्रिप के सभी प्रभागों सहित) का अधिग्रहण करेगा। एकीकरण योजना के अनुसार अधिग्रहण 01.04.2021 'नियत तिथि के रूप में संदर्भित' से प्रभावी होना था। तदनुसार, एनएबी द्वारा नैटिस की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया और आगे का लेखा-जोखा एनएबी की लेखा पुस्तकों में पहले की तरह ही रखा गया है।

योजना के अनुसार, नैट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी (नैटिस) जिसे 'हस्तांतरण सोसाइटी के रूप में संदर्भित' किया गया है, की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) जिसे 'हस्तांतरित सोसाइटी के रूप में संदर्भित' किया गया है, 31.03.2021 को लेखापरीक्षित खाता पुस्तकों के अनुसार उनके पुस्तक मूल्य पर ले लिया गया है। इस संबंध में, दोनों सोसायटियों की 02.11.2022 को आयोजित शासी परिषद की बैठक और वार्षिक आम बैठक में समामेलन योजना तैयार की गई और उसे विधिवत अनुमोदित किया गया। योजना के अनुसार, सभी वैधानिक विभागों में परिवर्तन, वैधानिक पंजीकरण में संशोधन, बैंक खाते, मौजूदा चल रहे अनुबंधों, समझौतों और सोसाइटी के अन्य संबंधित दस्तावेजों के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। तदनुसार, सभी परिवर्तन 28.02.2023 तक प्रभावी और कार्यान्वित किए गए और उसके बाद नैट्रिप कार्यान्वयन सोसाइटी के सभी वैधानिक पंजीकरण बैंक खातों को 01.03.2023 से एनएबी के साथ विलय / संशोधित कर दिया गया है।

2. लेखांकन की विधि

सोसायटी ने लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन किया है। ये वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और लेखांकन मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

एनएबी ने 01.04.2021 को अपने संबंधित बही मूल्य पर सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ-साथ अपने केंद्रों सहित एनएटीआईएस की चल रही गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, हालांकि विभिन्न परिसंपत्तियों, बैंक खातों और वैधानिक पंजीकरणों का शीर्षक 28.02.2023 तक एनएटीआईएस के नाम पर जारी है और तदनुसार सभी संबंधित लागत और आय को एनएबी की आय और व्यय के रूप में माना जाता है, जो सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के बाद सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का अंतिम लाभार्थी और मालिक है।

3. अचल संपत्तियां

- सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों, जिनमें विलय के बाद ली गई अचल संपत्तियां भी शामिल हैं, को अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें माल दुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने के लिए किए गए हैं।
- निर्माण और अधिग्रहण के दौरान अर्जित परिसंपत्तियों को संचित किया जाता है और बैलेंस शीट की तिथि पर उनकी पूर्णता की स्थिति के अनुसार पूर्ण या चालू कार्य (प्रगति पर कार्य) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे गए उपकरणों का लेखा संबंधित केंद्रों की लेखा पुस्तकों में उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। इन परिसंपत्तियों को सोसायटी की अचल परिसंपत्तियों में नहीं दिखाया गया है।
- अचल परिसंपत्तियों के निपटान के समय, परिसंपत्ति का लिखित मूल्य कम कर दिया जाता है तथा शेष राशि को आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

4. मूल्यहास

- क) अचल संपत्तियों पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर लिखित आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- ख) सोसायटी के अंतर्गत उसके केन्द्र में निर्मित परिसंपत्ति पर मूल्यहास तब लगाया जाएगा जब परिसंपत्तियां (प्रयोगशाला/सुविधा में उपकरण, भवन, उपयोगिताएं) प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालन करने में सक्षम होंगी तथा उस लागत पर लगाया जाएगा जो सीधे तौर पर परिसंपत्तियों को आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार होगी।
- ग) सरकारी अनुदान से सृजित परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और इसे लेखांकन मानक-12 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति का पालन करते हुए आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का लेखा ऐसे लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर विदेशी मुद्रा में बकाया परिसंपत्तियों और देनदारियों को बैलेंस शीट की समापन तिथि पर प्रचलित दर पर बहाल किया गया है। पूंजीगत मद खरीद से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को संबंधित परिसंपत्तियों के मूल्य में पूंजीकृत किया जाता है और राजस्व मदों से संबंधित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव को आय और व्यय खाते में चार्ज किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है। इसके अलावा, भविष्य निधि और ईएसआई जैसे अन्य परिभाषित अंशदान लाभ उपार्जन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी जैसी परिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के प्रति देयता एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित की जाती है और कर्मचारी को संचित अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर अर्जित किया जाता है और इस धारणा पर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। आईकैट के मामले में, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण देयताओं को भारतीय जीवन बीमा निगम

(एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। नैट्रैक्स और जीएआरसी के मामले में, केवल ग्रेच्युटी की देयता को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ली गई पॉलिसी के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अन्य केंद्रों में, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पहले से बनाए गए प्रावधानों में से देय होने पर किया जाता है।

7. सरकारी अनुदान

- नेट्रिप परियोजनाओं के लिए पूंजी प्राप्तियों की प्रकृति में सरकारी अनुदानों को परियोजना/कॉर्पस निधि के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजी दृष्टिकोण के तहत लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को लगाए गए मूल्यहास की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।
- फेम योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास तथा मांग प्रोत्साहन (डीआईडीएम) के लिए सरकारी अनुदान निर्धारित निधि के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं। इन अनुदानों से संबंधित व्यय, चाहे भुगतान किया गया हो या देय हो, का भी निर्धारित निधि के अंतर्गत हिसाब लगाया जाता है। मांग प्रोत्साहन के लिए अनुदान को वर्ष के दौरान दर्ज किए गए दावे और भुगतान किए गए दावे के लिए किए गए प्रावधान की सीमा तक प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है।
- शासनिक व्यय यानी स्थापना और अवसंरचना निधि के लिए फेम योजना के तहत सरकारी अनुदान को अन्य परियोजना अनुदान शीर्षक के तहत दिखाया गया है और ऐसे अनुदान के अप्रयुक्त शेष को चालू देयता के रूप में माना गया है। इन अनुदानों के विरुद्ध व्यय को लेखांकन मानक -12 'सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन' के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण के तहत मूल्यहास योग्य परिसंपत्तियों/व्यय से संबंधित अनुदानों को वर्ष के दौरान किए गए व्यय की सीमा तक आस्थगित आय के रूप में माना जाता है, जिसे आय और व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अन्य केंद्र विशिष्ट सरकारी अनुदानों को परियोजना विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत दिखाया गया है तथा ऐसे अनुदानों की अप्रयुक्त शेष राशि को चालू देयता माना गया है। राजस्व अनुदानों के मामले में, इसे आय एवं व्यय खाते से वसूला गया है।

8. आय मान्यता

- परिचालन केंद्रों पर राजस्व वाहनों के परीक्षण की सेवाओं की प्रकृति में है, तथा इसे तब मान्यता दी गई है जब पूर्ण सेवाएं या उसका एक भाग पूरा हो गया हो।
- परियोजना निधि/सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज भारत सरकार को वापस किया जाता है तथा इसे चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है। केंद्रों के अधिशेष राजस्व के निवेश पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में माना जाता है।
- अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान उन केंद्रों के लिए किया गया है जहां वसूली की संभावना नगण्य है तथा लंबी अवधि में वसूली योग्य नहीं है।
- विभिन्न अनुबंधों के अंतर्गत ली गई निष्पादन बैंक गारंटी (उस पर ब्याज सहित) के नकदीकरण के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि विवादों/मध्यस्थता के निपटारे के बाद यह या तो सरकार को या संबंधित ठेकेदारों को देय होती है।
- नेट्रिप परियोजना के अंतर्गत वसूल/कटौती की गई तरलता क्षति के कारण प्राप्त राशि को चालू देनदारियों के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह सरकार को देय है।

9. इन्वेंटरी

केंद्रों पर रखे गए स्टॉक में एचएसडी, संदर्भ ईंधन आदि का स्टॉक शामिल होता है और इसका मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

10. कराधान

सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत है। आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई कर योग्य आय न होने के कारण, तदनुसार, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

11. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान

भविष्य की घटना के आधार पर देयताएं घटित हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर अनुमान के आधार पर सभी ज्ञात देयताओं और हानियों के लिए प्रावधानों का लेखा-जोखा किया जाता है।

12. पूर्व अवधि आइटम

एक या एक से अधिक अवधि से संबंधित पूर्व अवधि की मदों का लेखा किया जाता है, चाहे वे आय हों या व्यय, जो लेखांकन उपचार, त्रुटियों या चूक में सुधार के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होती हैं

अनुसूची संख्या-25

आकस्मिक देयताएं और खातों पर नोट्स

1. नैट्रिप परियोजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना स्थल पर भूमि का स्वामित्व भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के पास है, क्योंकि भूमि के लिए भुगतान सोसायटी द्वारा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से किया जाता है। 31.03.2023 तक सोसायटी ने भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के विरुद्ध विभिन्न केंद्रों पर ₹ 2896.95 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता, ₹ 611.65 करोड़ के ऋण और ₹ 50 करोड़ के उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में ₹ 3551.45 करोड़ की परियोजना परिसंपत्तियां बनाई हैं।

क. नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत भूमि का विवरण निम्नानुसार है

क्र.स.	जगह का नाम	क्षेत्र	निःशुल्क पकड़	लीज होल्ड	व्यवसाय की स्थिति
			मूल्य करोड़ ₹ मे		
1	आईकैट-I	8 एकड़	11.20	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
2	आईकैट-II	46.9 एकड़	156.02	-	आईकैट द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
3	नैट्रैक्स	2960 एकड़		0.00008	नैट्रैक्स द्वारा पूर्णतः कब्जा किया गया, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं
4	जीएआरसी	304 एकड़		65.20	पूरी तरह से जीएआरसी के कब्जे में, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं
5	नियामित साइट-I ढोलचेरा	65.123 एकड़		0.18	नियामित द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
6	नियामित साइट-II जफीरबांद	19.504 एकड़	1.88		नियामित द्वारा पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है
कुल			169.10	65.38	

ख. दिनांक 31.03.2023 तक नैट्रिप परियोजना के अंतर्गत केन्द्रवार निर्मित परियोजना परिसंपत्तियां निम्नानुसार हैं

क्र.स.	केंद्र का नाम	31.03.2023 को बनाई गई परियोजना परिसंपत्तियाँ (सकल मूल्य करोड़ ₹ में)
1	आईकैट	937.19
2	जीएआरसी	962.40
3	नेट्रैक्स	1244.92
4	नियामित	62.72
5	एनसीवीआरएस/एडीएसी	2.01
6	एआरएआई**	296.19
7	वीआरडीआई**	46.02
	कुल	3551.45

**आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार एनसीवीआरएस केंद्र में परिकल्पित सुविधाएं आईकैट को हस्तांतरित कर दी गई हैं और वर्तमान बही मूल्य शून्य है।

**ऐसी परिसंपत्तियों की सीमा तक की राशि को कार्पस फंड और परियोजना परिसंपत्तियों से घटा दिया गया है, क्योंकि नियंत्रण और निगरानी पहले ही ऐसे केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई है और वर्तमान बही मूल्य शून्य है।

2. नैट्रिप परियोजना को भारत सरकार से ₹ 3,558.60 करोड़ की कुल लागत प्राप्त हुई, जिसमें से ₹ 2896.95 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में, ₹ 611.65 करोड़ ऋण के रूप में तथा ₹ 50 करोड़ उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में प्राप्त हुए।

सीसीईए की मंजूरी के अनुसार ऋण निधि ब्याज मुक्त है और इसे सात साल की स्थगन अवधि के बाद आठ समान किस्तों में चुकाया जाना है। ऋण की पहली किस्त का भुगतान वर्ष 2025 से शुरू किया जाएगा।

3. भारी उद्योग मंत्रालय ने “इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) प्रदर्शन परीक्षण/प्रमाणन के लिए परीक्षण सुविधा अवसंरचना” के लिए कुल ₹ 95 करोड़ (सरकारी निधि से ₹ 73 करोड़ और स्वयं के कोष से ₹ 22 करोड़) की परियोजना को मंजूरी दी है। सोसायटी को भारी उद्योग मंत्रालय से ₹ 73 करोड़ की राशि मिली थी और ₹ 87.41 करोड़ की परियोजना की संभावित पूर्णता लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्रों को उसी अनुपात में स्वयं के कोष के हिस्से के रूप में ₹ 18 करोड़ आवंटित किए गए थे और इसे अलग से दिखाया जा रहा है।

4. चालू वित्त वर्ष के दौरान, लेखांकन मानकों (एएस-12) के अंतर्गत निर्धारित पूंजी दृष्टिकोण विधि के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों पर चालू वर्ष का मूल्यहास ₹ 98.69 करोड़ (पूर्व अवधि मूल्यहास सहित पिछले वर्ष का ₹ 1053.89 करोड़) को परियोजना परिसंपत्तियों पर चालू वर्ष के कुल मूल्यहास ₹ 201.40 करोड़ (पिछले वर्ष का ₹ 315.43 करोड़) में से आस्थगित आय माना गया है, जिसे चालू वर्ष के आय और व्यय खाते में जमा किया गया है और तदनुसार सरकारी अनुदान से घटाया गया है।

5. 02.11.2023 को आयोजित अपनी 5वीं बैठक में शासी परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसार मुख्यालय के व्यय को पुरा करने के लिए संबंधित परीक्षण केंद्र मुख्यालय के वास्तविक व्यय की सीमा तक योगदान देगे जो उनके राजस्व का अधि कतम 5% होगा और तदनुसार वर्ष के दौरान सभी परीक्षण केंद्रों ने मुख्यालय के व्यय को पुरा करने के लिए ₹ 6.57 करोड़ (उनके राजस्व का लगभग 2.29%) की अंशदान राशि आवंटित की है।

6. वर्ष के दौरान सोसायटी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 15.44 करोड़ का आयकर रिफंड प्राप्त हुआ, जिसमें ₹ 1.47 करोड़ का ब्याज शामिल है। सोसायटी को ₹ 2.68 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 10.67 करोड़ का आयकर रिफंड भी मिला है, जिसका आयकर आदेश के अनुसार वर्षवार ब्योरा पता नहीं लगाया जा सकता है और तदनुसार समान राशि आनुपातिक आधार पर परीक्षण केंद्रों को आवंटित की गई है।

7. सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2008-09 में चेन्नई में 2/3 पहिया वाहनों की रीसाइक्लिंग के लिए रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट (आरडीयू) स्थापित करने के लिए ₹ 1.41 करोड़ का अनुदान (योजना अनुदान से परे) मिला था। जीएआरसी चेन्नई में रीसाइक्लिंग डेमो यूनिट स्थापित कर दी गई है और उसे क्रियाशील बना दिया गया है। उपरोक्त अनुदान से निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण इस प्रकार है।

अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण	राशि (₹)
मशीनरी एवं उपकरण	35,69,271.00
एयर कंडीशनर	33,837.00
कंप्यूटर/ परिधीय	38,800.00
टोकरे और पैलेट-	2,95,181.00
फर्नीचर और स्थिरता	4,42,770.00
कार्यालय उपकरण	61,208.00
मुद्रक	43,150.00
सोनी कैमरा- DSC 570B	11,185.00
कुल	44,95,402.00

8. 31.03.2023 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	देय ग्रेच्युटी (छूट दर @ 7.25% से 7.48% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी द्वारा वित्तपोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी(नैट्रिप)	1.04	0.05	0.93	-	16.05.23	0.11
2	आईकैट	8.53	0.65	7.88	हाँ	30.03.23	1.14
3	जीएआरसी	1.64	0.10	1.54	हाँ	16.06.23	0.16
4	नेट्रैक्स	1.56	0.08	1.48	हाँ	30.05.23	0.10
5	नियामित	0.51	0.02	0.47	-	25.04.23	0.04

क्र.स.	लागत केंद्र का नाम	अवकाश नकदीकरण देय (छूट दर @ 7.25% प्रति वर्ष)					
		वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	वर्तमान सेवा लागत	पिछली सेवा लागत	एलआईसी द्वारा वित्तपोषित	मूल्यांकन रिपोर्ट की तिथि	चालू वर्ष की राशि
1	एनएबी (नैट्रिप)	0.32	0.07	0.25	-	16.05.23	0.07
2	आईकैट	6.28	0.13	6.15	हाँ	01.05.23	0.63
3	जीएआरसी	0.90	0.19	0.81	-	16.06.23	0.32
4	नेट्रेक्स	0.47	0.13	0.34	-	07.06.23	0.02
5	नियामित	0.16	0.03	0.15	-	16.05.23	0.01

9. वर्ष 2022-23 के दौरान सोसायटी को एमएचआई से डिमांड इंसेंटिव डिलीवरी मैकेनिज्म (डीआईडीएम) फंड के रूप में ₹ 990 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें ₹ 20.63 करोड़ के शुरुआती डीआईडीएम फंड बैलेंस को जोड़ने के बाद वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल डीआईडीएम फंड ₹ 1010.63 करोड़ है। जिसमें से सोसायटी ने वर्ष के दौरान ₹ 1050.77 करोड़ की राशि वितरित की है। ₹ 72.09 करोड़ के शुरुआती डीआईडीएम अनुदान को समायोजित करने के बाद वर्ष के दौरान भुगतान किया गया शुद्ध डीआईडीएम अनुदान ₹ 978.68 करोड़ है। इसके अलावा, वर्ष के अंत तक दर्ज किए गए लेकिन अस्वीकृत दावों के संबंध में कुल ₹ 29.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसे चालू देनदारियों और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1010.63 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1007.78 करोड़ हो जाएंगे, जिसका अर्थ है कि वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त डीआईडीएम फंड ₹ 2.85 करोड़ है।

10. वर्ष के दौरान फेम योजना के अंतर्गत, सोसायटी को स्थापना एवं अवसंरचना निधि के लिए ₹ 10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त हुई। हालाँकि, सोसायटी ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.98 करोड़ का व्यय किया है। ₹ 1.27 करोड़ की आरंभिक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि पर विचार करने के पश्चात, वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त स्थापना एवं अवसंरचना निधि ₹ 10.29 करोड़ है, जिसे चालू देयताओं के अंतर्गत “अन्य परियोजना अनुदान” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11. सोसायटी ने ₹ 77 करोड़ की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) राशि को भुनाया है, जिसे विवाद/मध्यस्थता मामले के कारण ठेकेदारों से भुनाया गया है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को अर्जित ब्याज राशि के साथ वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है।

12. सोसायटी ने ₹ 50,76,59,655/- (पिछले वर्ष ₹ 36,30,99,233/-) की ब्याज राशि अर्जित की है, जिसमें नकदीकृत प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) पर अर्जित ब्याज राशि शामिल है। इसे भारत सरकार या ठेकेदारों को वापस किया जाना है, इसलिए इसे चालू देयताओं के शीर्षक के तहत दिखाया गया है। अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज भारत सरकार को देय है, जो कि फेम से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹ 4,53,60,530/- और ईवी परीक्षण सुविधाओं से संबंधित अप्रयुक्त अनुदान के लिए ₹ 83,21,114/- है।

13. सोसायटी द्वारा एआरआई - आरसीएन के अधिग्रहण के समय, कुछ परिसंपत्तियाँ निःशुल्क प्राप्त की गई हैं। ये परिसंपत्तियाँ संख्या में 12 हैं तथा अचल परिसंपत्ति अनुसूची में प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 1 है।

14. सोसायटी को भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र विशेष अनुदान प्राप्त होता है। ऐसे विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए, मुख्य रूप से उपकरणों की प्रकृति में कुछ अचल संपत्तियाँ खरीदी गई हैं, जिनका लेखा उस विशिष्ट अनुदान के उपयोग के अंतर्गत किया गया है। चूंकि ये उपकरण विशिष्ट उपयोग के लिए हैं और परियोजना के पूरा होने के बाद, स्वीकृति के अनुसार संग्रहीत किए गए हैं, इसलिए अनुदान स्वीकृति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद इनका निपटारा किया जा सकता है। ऐसी संपत्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखा गया है। विवरण इस प्रकार हैं:

₹ करोड़ में

क्र.स.	आईकैट केंद्र (आर एंड डी परियोजना)	01.04.2022 तक प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	प्राप्त ब्याज	वर्ष के दौरान उपयोग (ब्याज/ रिफंड सहित)	31.03.2023 तक अंतिम शेष राशि
1	सड़क यातायात दुर्घटनाओं का गहन डेटा संग्रह	0.14	-	0.003	₹ 0.12 (₹ 0.10 के व्यय सहित ₹ 0.02 वापस किये गये)	0.02
2	एसपीआईआई	(0.25)	0.64	-	₹ 0.39 (₹ 0.09 के व्यय सहित ₹ 0.30 वापस किए गए)	-
3	सीआई परियोजना (20% योगदान)	-	0.14	-	-	0.14
	कुल राशि	(0.11)	0.78	0.003	0.52	0.16

15. देनदारों और लेनदारों के शेष राशि की पुष्टि और समाधान किया जाना है। खराब ऋणों के लिए प्रावधान संबंधित केंद्रों के लिए किया गया है, जहां वसूली की संभावना नगण्य है और लंबे समय में वसूली योग्य नहीं है। 31.03.2023 तक संदिग्ध ऋणों को शून्य माना जाता है।

16. चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए वैधानिक बकाया (शुल्क और कर) मार्च, 2023 के महीने के लिए देय हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में छह महीने से अधिक समय तक कोई बकाया नहीं है। बकाया टीडीएस वसूली योग्य राशि संबंधित वर्ष का मूल्यांकन पूरा होने पर वसूल/समायोजित की जाएगी।

17. सीएण्डजी ने रिपोर्ट दी है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, संविदा कर्मचारियों, सलाहकारों और तत्कालीन निदेशक, आईकैट सहित आईकैट के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रदर्शन लिंक वैरिएबल पे पीएलवीपी योजना के तहत ₹ 63.80 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया है। सीएण्डजी रिपोर्ट के आधार पर, आईकैट की उक्त योजना पीएलवीपी को 23.03.2022 से निलंबित कर दिया गया और एक तथ्य खोज जांच शुरू की गई। इसके अलावा, तथ्य खोज रिपोर्ट के अनुसार, एक विभागीय जांच चल रही है।



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

18. फेम-II योजना भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा 1 अप्रैल, 2019 को देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम के विकास के साथ-साथ स्थानीयकरण के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया है। योजना के इस चरण का उद्देश्य ई-बसों, ई-श्री व्हीलर्स, ई-4 व्हीलर्स और ई-2 व्हीलर्स को समर्थन देकर मांग पैदा करना है। एमएचआई को मार्च, 2022 से अप्रैल, 2023 की अवधि के दौरान इस योजना के तहत 13 ओईएम के खिलाफ शिकायतें मिलीं, जो मुख्य रूप से चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) दिशानिर्देशों के उल्लंघन और एक्स-फैक्ट्री कीमतों के उल्लंघन से संबंधित थी। एआरआई और आईकैट जैसी परीक्षण एजेंसियों (टीए) को विस्तृत जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें ओईएम प्लांट का निरीक्षण, चालान, बीओएम आदि का विश्लेषण, वाहन परीक्षण और फेम-II योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों से खरीदे गए वाहनों का स्ट्रिप डाउन विश्लेषण शामिल था इन 13 ओईएम में से 6 ओईएम अर्थात एवन साइकिल, ओकाया, जितेंद्र, विक्ट्री, ठुकराल और काइनेटिक ग्रीन के मामले में परीक्षण एजेंसियों द्वारा कोई पीएमपी उल्लंघन नहीं पाया गया। 7 ओईएम अर्थात हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, ग्रीक्स इलेक्ट्रिक (पूर्व में एम्पीयर), रिवॉल्ट, एमो मोबिलिटी बेनलिंग और लोहिया के मामले में पीएमपी उल्लंघन पाया गया। इसके बाद, 6 ओईएम (लोहिया को छोड़कर, जिनकी रिपोर्ट जून 2023 के अंत में प्राप्त हुई) को फेम-II योजना से पंजीकरण रद्द करने और गलत तरीके से दावा किए गए प्रोत्साहन की वापसी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 6 ओईएम द्वारा वापस की जाने वाली राशि लगभग ₹ 468.80 करोड़ है।

19. वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास हेतु आरक्षित निधि का सृजन ₹ 5.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.26 करोड़) किया गया है, जो आईकैट सोसायटी प्रभाग की व्यय पर आय के 5% के बराबर है।

20. पूर्व अवधि की वस्तुओं का विवरण:

पूर्व अवधि व्यय (आईकैट) :	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त वर्ष 2021-22
i) उपभोज्य और परीक्षण	₹ शुन्य	₹ 1,38,666/-
ii) कर्मचारी कल्याण	₹ शुन्य	₹ 74,054/-
iii) मशीनरी मरम्मत एवं रखरखाव	₹ 4,53,062/-	₹ 11,48,625/-
iv) सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव	₹ 12,600/-	₹ 3,300/-
v) व्यवसाय संवर्धन व्यय	₹ शुन्य	₹ 5,666/-
vi) आउटसोर्स मैनुपावर व्यय	₹ शुन्य	₹ 14,800/-
vii) परीक्षण व्यय	₹ शुन्य	₹ 4,43,000/-
viii) माल ढुलाई एवं ढुलाई	₹ शुन्य	₹ 1,500/-
xii) टेलीफोन व्यय	₹ शुन्य	₹ 11,998/-
	-----	-----
कुल	₹ 4,65,662/-	₹ 18,41,609/-
	-----	-----

पूर्व अवधि आय (आईकैट):	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त वर्ष 2021-22
i) दरें और कर	₹ 13,93,649/-	₹ 28,78,647/-
ii) जीएसटी व्यय	₹ शुन्य	₹ 3,50,443/-
	-----	-----
कुल राशि	₹ 13,93,649/-	₹ 32,29,090/-
	-----	-----
पूर्व अवधि आय (नियामित):		
i) विविध आय	₹ 7,28,573/-	₹ शुन्य
ii) विविध आय	₹ 76,204/-	₹ शुन्य
पूर्व अवधि व्यय (नेट्रैक्स):		
i) विविध व्यय	₹ 9,76,911/-	₹ 2,36,926/-
पूर्व अवधि व्यय (जीएआरसी):		
i) विविध व्यय	₹ 11,59,671/-	₹ 3,70,016/-
पूर्व अवधि व्यय (एनएबी-फेम):		
i) कंसल्टेंसी व्यय	₹ 1,19,527/-	₹ 1,41,600/-
ii) वेबसाइट विकास शुल्क	₹ 4,24,800/-	₹ शुन्य
iii) जागरूकता कार्यक्रम व्यय.	₹ 7,43,400/-	₹ शुन्य
पूर्व अवधि व्यय (एनएटीआरआईपी):		
i) परियोजना परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	₹ शुन्य	₹ 95,95,86,770/-
ii) C&AG शुल्क	₹ 3,71,155/-	₹ शुन्य

21. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय

आईकैट	वित्त वर्ष 2022-2023	वित्त वर्ष 2021-2022
i) विदेशी मुद्रा में आय	₹ 8,58,63,517/-	₹ 6,94,20,638/-
ii) विदेशी मुद्रा में व्यय	₹ 7,41,32,427/-	₹ 5,30,61,891/-
iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन क्रेडिट (डेबिट)	₹ 10,56,242/-	₹ 9,54,461/-
जी.ए.आर.सी		
i) विदेशी मुद्रा व्यय	₹ 1,39,505/-	₹ शुन्य

22. आकस्मिक देयता :

क) श्री एस. पुरुषोत्तमन (पूर्व कर्मचारी) ने वेतन में कटौती और सेवा समाप्ति के लिए नेट्रैक्स के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनका कुल दावा ₹ 35,00,000 है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और नेटिस को अनुकूल परिणाम की उम्मीद है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

ख) नैट्रैक्स, इंदौर में ₹ 453 करोड़ की लागत से परीक्षण पथों के निर्माण का कार्य 4 मई 2010 को 2 वर्ष की अनुबंध अवधि अर्थात 14 सितम्बर 2012 तक के लिए दिया गया था और जीएआरसी, चेन्नई में ₹ 72.35 करोड़ की लागत से 12 महीने की अनुबंध अवधि के लिए परीक्षण पथ भी आईवीआरसीएल को 4 मई 2010 को दिया गया था। 16 जनवरी 2013 को मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ परियोजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा है कि जीएफसीडी जारी करने में देरी, डिजाइन की समीक्षा के लिए कार्य पर रोक आदि जैसे विभिन्न कारणों से; और निर्माण सामग्री अर्थात डीजल, बिटुमिन, सीमेंट, स्टील आदि और श्रम की लागत में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए वे मूल बीओक्यू दरों के अनुसार कार्य निष्पादित करने की स्थिति में नहीं होंगे और कार्य निष्पादन के मामले में मेसर्स आईवीआरसीएल को प्राप्य घाटा होगा, क्योंकि दरें 3.5 वर्ष से अधिक पुरानी हैं। उपरोक्त आधार और परियोजना के हित के आधार पर नैट्रैक्स ने मेसर्स आईवीआरसीएल के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। मेसर्स आईवीआरसीएल ने नैट्रैक्स, इंदौर और जीएआरसी, चेन्नई के परीक्षण ट्रैक के अनुबंध के विरुद्ध अपने अनुबंधात्मक नुकसान के दावों के अनुसार 201.48 करोड़ रुपये की राशि के पूरक दावों सहित कुल ₹ 415.27 करोड़ के दावे दायर किए हैं। नेट्रिप ने जोखिम और लागत के कारण मेसर्स आईवीआरसीएल पर ₹ 792.35 करोड़ (संशोधित राशि ₹ 871.06 करोड़) के लिए जवाबी दावे भी दायर किए हैं। मामला मध्यस्थता के अधीन है और मेसर्स आईवीआरसीएल को 23.02.2018 को दिवालिया घोषित कर दिया गया था और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई।

ग) हमारे ठेकेदार मेसर्स डीएस पार्टनरशिप ने सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन के लिए अपने सविदात्मक भुगतान के संबंध में 3,32,231.73 GBP (31.03.2023 को लगभग ₹ 3.38 करोड़ के बराबर / ₹ 101.8728 प्रति GBP) के साथ सिविल, जनरल अरेंजमेंट और जनरल यूटिलिटीज के डिजाइन की डिलीवरी के लिए अपने सविदात्मक भुगतान के लिए 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दावा दायर किया है और मध्यस्थता कार्यवाही की लागत 15,000.00 GBP (31.03.2023 को लगभग ₹ 15.28 लाख के बराबर / ₹ 101.8728 प्रति GBP) का दावा भी दायर किया है। मामला 02.04.2016 के आदेश के अनुसार सोसायटी के पक्ष में तय किया गया है। इस दावे के विरुद्ध खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

घ) आयकर अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर निर्धारण पूरा हो गया है और टीडीएस राशि ₹ 12,29,83,109/- (कुल विवादित मांग ₹ 51,34,37,279/-) समायोजित करने के बाद सोसायटी के खिलाफ ₹ 39,04,54,170/- की अतिरिक्त मांग की गई है। मांग के खिलाफ सोसायटी ने अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। प्रबंधन का मानना है कि अपील की कार्यवाही समाप्त होने और आदेश प्राप्त होने के बाद, सोसायटी के खिलाफ कोई मांग नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए खातों में इस देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ङ) नैट्रिप ने 7 मई 2010 को इंदौर के नैट्रैक्स में क्लाइंट वर्कशॉप, मेंटेनेंस और जनरल स्टोरेज बिल्डिंग के निर्माण के लिए मेसर्स एरा बिल्डसिस लिमिटेड के साथ ₹ 11,13,18,590/- का अनुबंध किया था। काम पूरा हो गया और ठेकेदार मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस (जिसे पहले एरा बिल्डसिस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के साथ अंतिम बिल का निपटान कर दिया गया। मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने अनुबंध के खंड 19ए का इस्तेमाल किया और दावों की सूचना 24 जुलाई, 2017 को नैट्रिप को दी गई। इसके अलावा, उन्होंने अनुबंध के खंड 31 (सौहार्दपूर्ण समझौता और मध्यस्थता) का इस्तेमाल करते हुए 28 अगस्त, 2017 को एक और पत्र जारी किया और सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए श्री ए.के. शर्मा को अपना नामित व्यक्ति नियुक्त किया। इसके बाद, 25 अक्टूबर, 2017 को ठेकेदार के साथ नेट्रिप मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई। इसके अलावा, मेसर्स एपेक्स बिल्डसिस ने 21 नवंबर, 2017 के अपने पत्र के माध्यम से अपनी सुरक्षा जमा राशि (अर्थात प्रतिधारण धन) जारी करने का अनुरोध किया। प्रतिधारण धन 25 जनवरी, 2018 को जारी किया गया है। ठेकेदार ने 13 फरवरी, 2018 को (हलफनामे में उल्लिखित दिनांक के अनुसार) दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थता दायर की। याचिका की प्रति इस कार्यालय में 26 फरवरी, 2018 को प्राप्त हुई। ठेकेदार द्वारा दावा की गई राशि विलंबित परियोजना के कारण हुए नुकसान के लिए ₹ 9.32 करोड़ है। इस दावे के खिलाफ खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि मामला मध्यस्थता के तहत लंबित है और कंपनी का परिसमापन प्रक्रियाधीन था।

च) नैट्रिप 1 अप्रैल, 2010 को 58,52,715 यूरो के अनुबंध मूल्य पर जीएआरसी में क्रैश टेस्ट इंस्ट्रुमेंटेशन की आपूर्ति और स्थापना के लिए मेसर्स किस्टलर इंस्ट्रुमेंट एजी, स्विट्जरलैंड के साथ अनुबंध किया था। आपूर्ति 2013 में की गई थी और सामग्री की आपूर्ति के खिलाफ 80% भुगतान जारी किया गया था। हालांकि ठेकेदार द्वारा स्थापना नहीं की गई थी। मामला मध्यस्थता के अधीन था। ठेकेदार ने 18,59,593/- यूरो (31.03.2023 को लगभग ₹ 16.66 करोड़ रुपये के बराबर / ₹ 89.6076 प्रति यूरो) का दावा दायर किया और नैट्रिप ने ₹ 17.82 करोड़ और 43,69,722.19 यूरो (31.03.2023 को लगभग ₹ 56.98 करोड़ के बराबर / ₹ 89.6076 प्रति यूरो) का काउंटर दावा दायर किया है। मध्यस्थता ने आंशिक रूप से मेसर्स किस्टलर के पक्ष में फैसला सुनाया। सोसायटी ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

छ) नैट्रिप ने आईकैट मानेसर में 'ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक और संबंधित कार्यों के निर्माण' का कार्य ₹ 27,88,09,895/- के अनुबंध मूल्य पर 29.04.2011 को मेसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड को 17.06.2012 की पूर्णता तिथि के साथ दिया। अनुबंध के तहत कुछ विवाद के कारण, 24.10.2016 को मध्यस्थता शुरू की गई थी। हालांकि, मेसर्स सुप्रीम द्वारा न्यायाधिकरण की फीस का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, 07.11.2017 को मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का जनादेश भी 23.10.2017 को समाप्त हो गया था और आगे कोई विस्तार नहीं दिया गया था। तीन साल बाद मेसर्स सुप्रीम ने कार्यवाही को पुनर्जीवित करने के लिए 02.11.2020 को एक आवेदन दायर किया। 20.10.2022 को, उच्च न्यायालय ने अनुमति दी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण आगे की कार्यवाही करने में सक्षम हो सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध, सोसायटी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया। 27.02.2023 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया और छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया। छह सप्ताह की समाप्ति तक, मेसर्स सुप्रीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यहाँ तक कि बैलेंस शीट की दिनांक तक भी मेसर्स सुप्रीम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

ज) आईकैट सेंटर के भूतपूर्व कर्मचारी श्री राकेश गर्ग ने पुनः नियुक्ति के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है तथा ₹ 10 लाख के मुआवजे का दावा किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई है।

झ) सोसायटी के एक प्रभाग आईकैट ने ऋण पत्र जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में ₹ 20.63 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 25.03 करोड़) की सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार बनाया है।

23. अग्रिम, सुरक्षा जमा, देनदार और विभिन्न प्राप्य एवं लेनदारों और विभिन्न देय राशियों की शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है।

24. भुगतान किए गए/देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित वैधानिक देयताएं (शुल्क और कर) विभिन्न वैधानिक रिटर्न फील्ड के साथ समाधान के अधीन हैं, वित्तीय विवरणों पर ऐसे समाधान का कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

25. वर्तमान आंकड़ों को अधिक तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित और पुनः ढाला गया है।

हमारे संगलन दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार:

**डीसी छाजेड एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट**

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

Sd/-
(सी.ए. मुकेश छाजेड)
एम. नं.: 096779
यूडीआईएन: 24096778BKCZCD1664

Sd/-
प्रबंधक वित्त
एनएबी

Sd/-
निदेशक (एम एच आई)
एवं लुकिंग आफ्टर
निदेशक एफपीसीएल, एनएबी

Sd/-
सीसीए, एम एच आई
एवं लुकिंग आफ्टर
कार्यकारी सदस्य (पीएन), एनएबी

दिनांक: 01-07-2024
स्थान: नई दिल्ली



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

भविष्य की ओर भारत

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE NATIONAL AUTOMOTIVE BOARD, MANESAR FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

We have audited the attached Balance Sheet of National Automotive Board (NAB) as at 31 March 2023, and the Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account for the year ended on that date, under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Clause 21.3 of the Rules & Regulations (Bye-laws) of the National Automotive Board. The Audit of the Board has been entrusted to the Comptroller and Auditor General of India for the period up to 2025-26. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment with respect to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards and disclosure norms. Other significant audit observations with regard to compliance with the law, rules and regulations (propriety and regularity) and efficiency cum performance aspects etc. are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with the accounting standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. Audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Government for Central Autonomous Bodies.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Automotive Board as required under Clause 2 1.2 of the Rules and Regulations of the Board in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

Comments on Accounts

A. Balance Sheet

A.1 Fixed Assets (Schedule-8)

A.1 Project Assets (Schedule 8B): ₹ 1,815.23 crore

NAB (erstwhile NATRIP) acquired (October 2006) Land from State Industries Promotion Corporation of Tamilnadu Limited (SIPCOT) on 99 years lease for Global Automotive Research Centre (GARC) at Chennai and paid an amount of ₹64.79 crore to SIPCOT. It also incurred ₹0.08 crore towards land acquisition charges. Lease Deed was signed on 6 November 2020.

In this regard, reference is invited to Para 18 of AS-19 (Leases), which, inter-alia, stipulates that, a finance lease gives rise to a depreciation expense for the asset as well as a finance expense for each accounting period. If there is no reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, the asset should be fully depreciated over the lease term or its useful life, whichever is shorter.

As there are no documents/evidence to establish that NAB will obtain the ownership of the land, the aforesaid amount of ₹64.87 crore (₹64.79 crore plus ₹0.08 crore) should be amortised over the lease term or useful life of the Land- whichever is shorter.

Further, NAB acquired (February 2006) Land at Silchar (Assam) on 'Patta' for an initial period of 25 years, for setting up National Institute for Automotive Inspection Maintenance & Training (NIAIMT) and made a total payment of ₹0.18 crore. However, no amortization of the amount paid has so far been made in the books of accounts.

Non-amortisation of the amount paid towards Leasehold Land has resulted in understatement¹ of depreciation and overstatement of Land (leasehold). Consequently, Excess of Income over expenditure is also overstated. Further, NAB has not framed/disclosed any policy on amortisation of lease payment.

B. General Comments

B.1 Rule 237 of General Financial Rules, 2017 stipulates that approved and authenticated annual accounts should be made available by the Autonomous Bodies to the concerned Audit Office by 30th June. However, NAB had submitted its accounts for the year 2022-23 for Audit only in October 2023. Further, in view of the comments included in the SAR for the year 2014-15 as issued in February 2024, NAB recast its accounts for the years 2014-15 to 2022-23 as per recommendations of its Board in a meeting held on 28 February 2024. The recast annual accounts for the period 2014-15 to 2022-23 were submitted by NAB for Audit on 24 July 2024.

The fact regarding recasting of accounts on the basis of audit observations and the impact thereof has not been disclosed in the Notes to Accounts.

¹ Audit is unable to quantify the amount of understatement or overstatement in absence of details of payments made to SIPCOT.



राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

B.2 The impact of recasting of annual accounts for the year 2022-23 by NAB is as under:

- (i) **Balance Sheet:** Capital Fund decreased by ₹43.30 crore, Earmarked Fund increased by ₹2.85 crore and Current Liabilities and Provisions increased by ₹40.45 crore.
- (ii) **Income and Expenditure Account:** Total Income decreased by ₹999.02 crore, Total Expenditure decreased by ₹1,049.70 crore and Surplus in Income and Expenditure Account increased by ₹50.68 crore

C. Grant-in-Aid

The position of receipt and utilisation of grants-in-aid by NAB during the year 2022-23 was as under:

(₹ in lakh)

Particulars	NATRIP & ICAT Grant	Establishment and Infra Grant	DIDM Grant	DCAA12-Nodal Agency Fund	Total
Balance as on 1 April 2022	1,328.44	126.46	2,062.96	-	3,517.86
Grants received during the year	77.92	1,000.00	99,000.00	208.99	1,00,286.91
Grants refunded	10.94	-	-	-	10.94
Grants utilised during the year	53.53	97.68	1,00,777.63	-	1,00,928.84
Balance as on 31 March 2023	1,341.89	1,028.78	285.33	208.99	2,864.99

Besides, NAB earned interest of ₹5.27 crore on grants during the year 2022-23.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of NAB through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in **Annexure-I** to this Audit Report, give a **true and fair** view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

² Development Council for Automobiles and Allied Industries

- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Automotive

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड



Board, Manesar as at 31 March 2023; and

- b) In so far as it relates to Income and Expenditure account, of the Excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 22 APRIL 2025

**(S. Ahladini Panda)
Director General of Audit
Industry & Corporate Affairs
New Delhi**

Annexure 1 to Separate Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit System**

NAB did not have an internal audit wing during the financial year 2022-23. However, the internal audit has been carried out by an Independent External Auditor viz. Mithilesh Singh & Co., Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control system in NAB was inadequate and not commensurate with the size of the organization as it did not have a recruitment policy for personnel management. Further, no accounting manual was there in NAB during FY 2022-23.

3. System of physical verification of Fixed Assets

Physical verification of fixed assets was carried during the FY 2022-23.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of Inventory was carried out during the FY 2022-23.

5. Regularity in payment of statutory dues

NAB was regular in payment of undisputed statutory dues during the FY 2022-23.

सुबोध
17/4/23
Director (AMG-III)

एनएबी का स्पष्टीकरण वित्तीय वर्ष 2022-23

क्र. सं	सीएंडएजी की टिप्पणियां	एनएबी का स्पष्टीकरण
क.1	जीएआरसी, चेन्नई - भूमि (लीजहोल्ड): ₹65.20 करोड़ एनएबी (पूर्ववर्ती नैट्रिप) ने चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर (जीएआरसी) के लिए 99 साल के पट्टे पर तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम लिमिटेड (सिपकोट) से भूमि अधिग्रहित की (अक्टूबर 2006) और सिपकोट को ₹64.79 करोड़ की राशि का भुगतान किया। भूमि अधिग्रहण शुल्क के लिए इसने ₹0.08 करोड़ भी खर्च किए। 6 नवंबर 2020 को लीज डीड पर हस्ताक्षर किए गए। इस संबंध में, एस-19 (लीज) के पैरा 18 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि, वित्तीय लीज से परिसंपत्ति के लिए मूल्यहास व्यय के साथ-साथ प्रत्येक लेखा अवधि के लिए वित्त व्यय भी उत्पन्न होता है। यदि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि पट्टेदार को पट्टे की अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, तो परिसंपत्ति का पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर पूर्ण रूप से मूल्यहास किया जाना चाहिए। चूंकि यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज/साक्ष्य नहीं है कि एनएबी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करेगा, इसलिए ₹64.87 करोड़ (₹64.79 करोड़ प्लस ₹0.08 करोड़) की उपरोक्त राशि को भूमि के पट्टे की अवधि या उपयोगी जीवन- जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाना चाहिए।	नैट्रिप परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना थी, जो पूंजीगत व्यय की प्रकृति की थी। सोसायटी की लेखा नीति के अनुसार व्यय किए गए अनुदान को अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: 'सोसायटी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें माल ढुलाई, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील बनाने के लिए किए गए हैं।' (लेखांकननोट्स और आकस्मिक देयताओं की अनुसूची संख्या 24 के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 3 देखें) 25.10.2006 को सिपकोट द्वारा जीएआरसी को नैट्रिप परियोजना के तहत ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए ₹56.56 करोड़ की लागत से 99 वर्षों के लिए ₹100 के नाममात्र पट्टे के किराए के साथ भूमि आवंटित की गई थी। इसे अगले 99 वर्षों की समान अवधि के लिए नवीनीकरण परस्पर सहमति, अनुबंधों और प्रावधानों के प्रचलित निती के अनुसार दिया जा सकता है। भूमि को सरेंडर करने की स्थिति में, सिपकोट द्वारा जीएआरसी को प्लॉट की लागत वापस कर दी जाएगी। पट्टा समझौते के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार हैं: 2.1 पट्टाकर्ता द्वारा किए गए भूखंड के आवंटन के प्रतिफल स्वरूप, पट्टाधारक ने भूखंड की लागत के रूप में ₹ 56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया है। 2.2 प्लॉट की कीमत ₹ 56,55,61,000/- (छप्पन करोड़, पचपन लाख और इकसठ हजार रुपये मात्र) लीज अवधि की समाप्ति पर वापस नहीं की जाएगी।

इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मॉटेनेंस एंड ट्रेनिंग (नियामित) की स्थापना के लिए 25 साल की शुरुआती अवधि के लिए 'पट्टे' पर सिलचर (असम) में जमीन का अधिग्रहण किया (फरवरी 2006) और कुल ₹ 0.18 करोड़ का भुगतान किया। हालाँकि, भुगतान की गई राशि का कोई परिशोधन अभी तक खातों की पुस्तकों में नहीं किया गया है। लीजहोल्ड भूमि के लिए भुगतान की गई राशि का परिशोधन न किए जाने के परिणामस्वरूप मूल्यहास को कम करके दिखाया गया है और भूमि (लीजहोल्ड) को अधिक दिखाया गया है। परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधिकता भी अधिक दिखाई गई है। इसके अलावा, एनएबी ने लीज भुगतान के परिशोधन पर कोई नीति नहीं उल्लेखित की है।	2.3 पट्टेदार ने वार्षिक पट्टा किराया के 100% के रूप में ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) का अग्रिम भुगतान किया है। वार्षिक पट्टा किराया 98 वर्षों के लिए प्रति वर्ष एक रुपये और 99वें वर्ष के लिए ₹2 के हिसाब से गणना की जाती है। 2.8 पट्टेदार समझता है और सहमत है कि आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड की लागत केवल अस्थायी है, पट्टादाता आवंटन आदेश में निर्धारित भूखंड के लिए देय राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि पट्टादाता को अधिग्रहित भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा देना पड़ता है या किसी अन्य कारण से ऐसा संशोधित भूखंड लागत पट्टादाता के पक्ष द्वारा भुगतान किया जाएगा। 3.1 पट्टेदार ने उक्त आवंटित भूखंड पर प्रवेश किया और कब्जा ले लिया, जिसके बदले में पट्टेदार ने भूखंड की लागत का 100%, वार्षिक पट्टा किराया चुकाया है। 11.4 इस तरह के समर्पण पर, पट्टादाता को पट्टादाता की मौजूदा समर्पण नीति के अनुसार गणना करके भुगतान करना होगा। भूखंड में निर्मित भवन या अन्य संरचना के सुधार के लिए पट्टादाता द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। 13.1 पट्टाकर्ता, पट्टाधारक के अनुरोध और लागत पर, 99 वर्ष की उक्त अवधि के अंत में, 99 वर्ष की समान अवधि के लिए नवीकरण के माध्यम से अनुसूची में उल्लिखित भूखंड का एक नया पट्टा निष्पादित कर सकता है, ऐसे अनुबंधों और प्रावधानों पर जो परस्पर सहमत हो सकते हैं या प्रचलित नीति के अनुसार हो सकते हैं। तदनुसार, प्लॉट की लागत, नाम मात्र पट्टा किराया, अन्य पूंजीकरण लागत अर्थात् भूमि के सर्वेक्षण की लागत, वन भूमि की लागत और स्टांप ड्यूटी पूंजीकरण शुल्क आदि की लागत सहित कुल लागत ₹65.20 करोड़ को पूंजीकृत किया गया है और इसे अचल संपत्तियों (परियोजना संपत्ति) के तहत भूमि के रूप में दिखाया गया है। लागू मूल्यहास नीति के अनुसार (आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरें - लेखा और आकस्मिक देनदारियों के लिए नोट्स की अनुसूची संख्या 24 के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की क्रम संख्या 4 देखें), भूमि गैर-मूल्यहास योग्य संपत्ति है। पट्टे पर लेखांकन मानक (एएस)-19 के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं: पैरा 3.2 के अनुसार, वित्त पट्टा एक ऐसा पट्टा है जो किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व में होने वाले सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक स्थानांतरित कर देता है।
--	--

		पैरा 6 के अनुसार, यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है, तो उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शीर्षक अंततः स्थानांतरित हो भी सकता है और नहीं भी। यदि कोई पट्टा स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, एस-19 के पैरा 1 (सी) के अनुसार, इस मानक को भूमि के उपयोग के लिए पट्टा समझौते के अलावा अन्य सभी पट्टों के लेखांकन में लागू किया जाना चाहिए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उपरोक्त लेखापरीक्षा अवलोकन को छोड़ने का अनुरोध किया जाता है, क्योंकि उपरोक्त लेखांकन लागू मानकों, लेखांकन नीति के अनुरूप है और 99 वर्षों के लिए ₹100 नाममात्र पट्टा किराया के साथ ₹56.56 करोड़ की लागत वाले भूखंड पर आवंटित भूमि के लिए पट्टा समझौते के अनुसार है। इसके अलावा, एनएबी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मंटेनेंस एंड ट्रेनिंग (नियामित) की स्थापना के लिए 25 साल की शुरुआती अवधि के लिए सिलचर (असम) में 'सरकारी पट्टे' पर भूमि अधिग्रहित की (फरवरी 2006) और सोसायटी की लेखा नीति के अनुरूप भूमि लागत और अन्य भूमि विकास लागत सहित कुल लागत ₹0.18 करोड़ का पूंजीकरण किया। 17.02.2006 को उक्त भूमि औपचारिक रूप से सौंप दी गई और कछार में क्षेत्रीय वाहन प्रबंधन और विशेष प्रशिक्षण असम के प्रशिक्षण संस्थान के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया। “पट्टा” की शर्तों के अनुसार, सोसायटी के पास इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का विशेष अधिकार है। स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित कर दिए गए हैं और नियामित के पास निहित हैं। हालाँकि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सुझाव के अनुसार, सोसायटी दोनों भूमि के लिए पट्टा भुगतान के परिशोधन पर उचित नीति का उल्लेख करेगी।
ख. 1	सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 में प्रावधान है कि स्वायत्त निकायों द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित वार्षिक खाते 30 जून तक संबंधित लेखा परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दिए जाने चाहिए। हालाँकि, एनएबी ने वर्ष 2022-23 के अपने खाते अक्टूबर 2023 में ही ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा, फरवरी 2024 में जारी वर्ष 2014-15 के लिए ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर, एनएबी ने 28 फरवरी 2024 को आयोजित एक बैठक में अपने बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2014-15 से 2022-23 के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया।	वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए एनएबी के खाते फरवरी 2020 में सीएंडएजी को सौंपे गए थे। वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 06.11.2020 को जारी किया गया था, इस बीच कोविड-19 महामारी, नैटिस के समापन और समामेलन प्रक्रिया (जो फरवरी 2023 में पूरी हुई) के कारण, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एनएबी के वार्षिक खाते संसद में नहीं रखे जा सके। सरकारी आदेश के अनुसार, भारत में विश्व स्तरीय परीक्षण अवसंरचना के निर्माण के लिए नैट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने के बाद, एमएचआई के दिनांक 17.03.2021 के आदेश के अनुसार, एनएबी ने नैटिस को अपने अधीन ले लिया।

2014-15 से 2022-23 की अवधि के लिए पुनर्गठित वार्षिक खाते 24 जुलाई 2024 को एनएबी द्वारा ऑडिट के लिए प्रस्तुत किए गए थे। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर खातों के पुनर्गठन और उसके प्रभाव के बारे में तथ्य का खुलासा लेखा टिप्पणियों में नहीं किया गया है।	आदेश के अनुसार, एनएबी ने सचिवालय नैटिस के सहयोग से अपना संचालन शुरू किया और नैटिस के तहत बनाए गए जीएआरसी, नैट्रेक्स, आईकैट आदि केंद्रों का प्रशासन किया। इससे पहले, एनएबी का कार्य सीमित था। एनएबी ने फेम योजना के तहत भुगतान जारी किया। फेम का प्रबंधन एमएचआई (पहले डीएचआई) के अधिकारियों द्वारा किया जाता था और एनएबी को निधि का वितरण पीएओ, एमएचआई के माध्यम से किया जाता था। एनएबी ने नैटिस के एनएबी में विलय के बाद सोसायटी के रूप में अपना पूर्ण कामकाज शुरू किया और नैटिस के सचिवालय ने एनएबी की गतिविधियों का कामकाज अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के खातों की लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसरण में, एनएबी ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2017-18 के वार्षिक खातों को फिर से तैयार किया और उन्हें 4 अक्टूबर 2023 को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। वित्त वर्ष 2014-15 के पुनर्गठित खातों पर ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) 21.02.2024 को जारी किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) में शामिल टिप्पणियों के मद्देनजर, एनएबी ने सीएंडएजी अधिकारियों के साथ एमएचआई में 28.02.2024 को आयोजित बैठक की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के वर्षों के लिए अपने खातों को फिर से तैयार किया। विलय के बाद, एनएबी के वित्तीय वर्ष 2014-15 से आगे के वार्षिक लेखों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पिछली टिप्पणियों के अनुसार पुनः तैयार किया गया है तथा अंतिम टिप्पणियों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत किया गया है। अब, सीएंडएजी ने 22.04.2025 को वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए अंतिम ऑडिट रिपोर्ट (एसएआर) को “सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण” के रूप में जारी किया है। वित्त वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक के इन वार्षिक खातों को सीएंडएजी रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र और वित्त वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में रखा गया है। उपरोक्त विलम्ब निम्नलिखित कारणों से हुआ: - केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार खाते तैयार नहीं किए गए। - भारत में कोविड-19 महामारी मार्च, 2020 से शुरू हुई। - नैटिस का एनएबी के साथ विलय प्रक्रियाधीन था। खातों के पुनर्रचना के संबंध में, यह भी सूचित किया जाता है कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाते और खाते के नोटों के अंतिम पृष्ठ पर, यह उल्लेख किया गया है कि वार्षिक खाते ‘केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार पुनर्रचना की गई खाता पुस्तकों के अनुसार प्रमाणित हैं’।
--	--

ख.2	एनएबी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों के पुनर्रचना का प्रभाव निम्नानुसार है: (ii) बैलेंस शीट: पूंजी निधि में ₹43.30 करोड़ की कमी आई, निर्धारित निधि में ₹2.85 करोड़ की वृद्धि हुई तथा चालू देयताओं और प्रावधानों में ₹40.45 करोड़ की वृद्धि हुई। (iii) आय और व्यय खाता: कुल आय में ₹999.02 करोड़ की कमी आई, कुल व्यय में ₹1,049.70 करोड़ की कमी आई और आय और व्यय खाते में अधिशेष में ₹50.68 करोड़ की वृद्धि हुई।	यह उल्लेखनीय है कि यह प्रभाव केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान प्रारूप के अनुसार वार्षिक लेखों के पुनर्गठन संशोधन के कारण है।																																				
ग	सहायता अनुदान वर्ष 2022-23 के दौरान एनएबी द्वारा सहायता अनुदान की प्राप्ति और उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी। (₹ लाख में) <table><tr><th>विवरण</th><th>नैटिप और आई कैट, अनुदान</th><th>स्थापना और अवसं. रचना अनुदान</th><th>डी आईडी एम अनुदान</th><th>डीसी एएआई नोडल एजेंसी फंड</th><th>कुल</th></tr><tr><td>1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि</td><td>1,328.44</td><td>126.46</td><td>2,062.96</td><td>-</td><td>3,517.86</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान</td><td>77.92</td><td>1,000.00</td><td>99,000.00</td><td>208.99</td><td>1,00,286.91</td></tr><tr><td>अनुदान वापस किया गया</td><td>10.94</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>10.94</td></tr><tr><td>वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान</td><td>53.53</td><td>97.68</td><td>1,00,777.63</td><td>-</td><td>1,00,928.84</td></tr><tr><td>31 मार्च 2023 तक शेष राशि</td><td>1,341.89</td><td>1,028.78</td><td>285.33</td><td>208.99</td><td>2,864.99</td></tr></table> इसके अलावा, एनएबी ने वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान पर ₹ 5.27 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।	विवरण	नैटिप और आई कैट, अनुदान	स्थापना और अवसं. रचना अनुदान	डी आईडी एम अनुदान	डीसी एएआई नोडल एजेंसी फंड	कुल	1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	1,328.44	126.46	2,062.96	-	3,517.86	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	77.92	1,000.00	99,000.00	208.99	1,00,286.91	अनुदान वापस किया गया	10.94	-	-	-	10.94	वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	53.53	97.68	1,00,777.63	-	1,00,928.84	31 मार्च 2023 तक शेष राशि	1,341.89	1,028.78	285.33	208.99	2,864.99	नोट कर लिया
विवरण	नैटिप और आई कैट, अनुदान	स्थापना और अवसं. रचना अनुदान	डी आईडी एम अनुदान	डीसी एएआई नोडल एजेंसी फंड	कुल																																	
1 अप्रैल 2022 तक शेष राशि	1,328.44	126.46	2,062.96	-	3,517.86																																	
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	77.92	1,000.00	99,000.00	208.99	1,00,286.91																																	
अनुदान वापस किया गया	10.94	-	-	-	10.94																																	
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये अनुदान	53.53	97.68	1,00,777.63	-	1,00,928.84																																	
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	1,341.89	1,028.78	285.33	208.99	2,864.99																																	
घ	प्रबंधन पत्र वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।	नोट कर लिया																																				

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक 1		
1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनएबी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं थी। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षक अर्थात् मिथिलेश सिंह एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की गई है।	एनएबी में प्रचलित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है तथा इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है। इसके अलावा, 03.02.2025 को आयोजित अपनी 12वीं बैठक में ऑडिट कमेटी ने सभी परीक्षण केंद्रों पर एक आंतरिक ऑडिट विंग बनाने का निर्देश दिया। तदनुसार, सभी परीक्षण केंद्रों में आंतरिक जांच और संतुलन की देखभाल के लिए आंतरिक ऑडिट विंग के रूप में एक आंतरिक समिति बनाई गई है और इसे समय के साथ कार्य प्रणाली से समन्वयित किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 से वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करने के लिए सभी केंद्रों को GEM के माध्यम से अलग से आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।
2	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें कार्मिक प्रबंधन के लिए भर्ती नीति नहीं थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनएबी में कोई लेखा मैनुअल नहीं था।	एनएबी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त थी और संगठन के आकार के अनुरूप थी, क्योंकि यह एक छोटा संगठन है। भर्ती नीति के संबंध में, सोसायटी की भर्ती नीति और नियम तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक समिति भी गठित की गई है। इसके अलावा, दिनांक 01.07.2024 को आयोजित अपनी छठी बैठक में लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार, सभी एनएबी परीक्षण केंद्रों के लिए लेखांकन शीर्षों, नीति और प्रक्रियाओं में एकरूपता की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है और उसे अपनाया गया है, जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुरूप है। (एसओपी की प्रति लेखापरीक्षा टीम को दे दी गई है)।
3	अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
4	रहतिया के भौतिक सत्यापन की प्रणाली वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रहतिया का भौतिक सत्यापन किया गया।	नोट कर लिया
5	वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता एनएबी वर्ष 2022-23 के दौरान निर्विवाद वैधानिक बकाया का भुगतान करेगा।	नोट कर लिया



भविष्य की ओर भारत

राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड

(भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत समिति)

पंजीकृत कार्यालय : कमरा न.-123 सी, उद्योग भवन,
भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली-110011

कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र
(आईसीएटी) कैम्पस-II, सेक्टर-11, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051

दूरभाष: +91-124-6900000